www.dhyeyaias.com

जून 2020 | अंक 04

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

1 भारतीय कृषि में नवीन प्रौद्योगिकी की आवश्यकता

समय की माँग

2 चीन की वुल्फ वारियर्स डिप्लोमेसी : एक अवलोकन

3 भारत–ऑस्ट्रेलिया : बढ़ती रणनीतिक भागीदारी

4 G7 का विस्तार : बदलते शक्ति संतुलन का संकेत

5 कोविड–19 के दौरान गैर–संचारी रोगों के उपचार की चुनौतियाँ

6 भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य : कारण व प्रभाव

7 भारत में वन्य जीवों का संरक्षण : प्रभावी कानून की आवश्यकता

ध्येय IAS
most trusted since 2003

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

हमने 'PERFECT 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'PERFECT 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'PERFECT 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'PERFECT 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय IAS

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने 'PERFECT 7' पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 'PERFECT 7' पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त 'PERFECT 7' पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय IAS

ध्येय IAS
most trusted since 2003

www.dhyeyaias.com

PERFECT 7
साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

जून 2020 | अंक 04

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	➢ विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	➢ क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक	➢ कुरबान अली
प्रबंध संपादक	➢ आशुतोष सिंह
संपादक	➢ जीत सिंह ➢ अवनीश पाण्डेय ➢ ओमवीर सिंह चौधरी ➢ रजत झिंगन
संपादकीय सहयोग	➢ प्रो. आर. कुमार
मुख्य लेखक	➢ अजय सिंह ➢ अहमद अली ➢ स्वाती यादव ➢ स्नेहा तिवारी
लेखक	➢ अशरफ अली ➢ गिरराज सिंह ➢ हरिओम सिंह ➢ अंशुमान तिवारी
समीक्षक	➢ रंजीत सिंह ➢ रामयश अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास	➢ संजीव कुमार झा ➢ पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	➢ गुफरान खान ➢ राहुल कुमार
प्रारूपक	➢ कृष्ण कुमार ➢ कृष्णकांत मंडल ➢ मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक	➢ हरीराम ➢ राजू यादव

Content Office

ध्येय IAS
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

विषय सूची

7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्न 01–15

- भारतीय कृषि में नवीन प्रौद्योगिकी की आवश्यकता : समय की माँग
- चीन की वुल्फ वारियर्स डिप्लोमेसी : एक अवलोकन
- भारत–ऑस्ट्रेलिया : बढ़ती रणनीतिक भागीदारी
- G7 का विस्तार : बदलते शक्ति संतुलन का संकेत
- कोविड–19 के दौरान गैर–संचारी रोगों के उपचार की चुनौतियाँ
- भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य : कारण व प्रभाव
- भारत में वन्य जीवों का संरक्षण : प्रभावी कानून की आवश्यकता

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स 16–22

7 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित) 23–24

7 महत्वपूर्ण खबरें 25–29

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 30

7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु) 31

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध एवं उत्तर लेखन के लिए उपयोगी) 32

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

7 महत्वपूर्ण मुद्दे

01 भारतीय कृषि में नवीन प्रौद्योगिकी की आवश्यकता : समय की माँग

संदर्भ

- गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और अभी हाल ही में घोषित विशेष आर्थिक पैकेज में भी कृषि क्षेत्र हेतु महत्वपूर्ण उपायों व सुधारों को सम्मलित किया गया है, परन्तु इन उपायों का क्रियान्वयन करने के लिए एक मजबूत नींव का होना भी अनिवार्य है, जो गिरते हुए कृषि विकास की दर को संभाल सके।
- इसी संदर्भ में भारतीय कृषि को आधुनिक प्रौद्योगिकी को जोड़ने के लिए कई वर्षों से प्रयास किये जा रहे हैं, हाल के वर्षों में, कृषि में प्रौद्योगिकी के उपयोग में काफी बदलाव भी आये हैं। नवीन प्रौद्योगिकी को एक कौशलयुक्त और टिकाऊ संसाधन के रूप में उपयोग करके, किसान अब अपनी कृषि पद्धति को नई ऊँचाईयों पर ले जा रहे हैं।

पृष्ठभूमि

- 1960 के दशक में हरित क्रांति के दौरान, भारत ने बेहतर गुणवत्ता वाले बीज, प्रबंधित सिंचाई व्यवस्था, रासायनिक खाद और कीटनाशक जैसे कृषि के आधुनिक तरीकों का उपयोग करके खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल की थी। जैसे-जैसे समय बीतता गया, कृषि में अधिक तकनीकी विकास दिखाई दिए। नए जुताई और कटाई के उपकरण, सिंचाई और एयर सीडिंग तकनीक के साथ ट्रेक्टर का उपयोग किया जाने लगा, जो उच्च पैदावार और कृषि की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक था।
- फिर 21 वीं सदी में जिस तरह किसान डिजिटली सक्षम हुए हैं उससे कृषि क्षेत्र का काफी विकास हुआ है। किसान अब खेती से जुड़ी अपनी समस्याओं से निपटने, नई कृषि विधियां सीखने और दुनिया भर में हो रहे कृषि प्रयोगों के बारे में जानने के लिए फेसबुक, व्हॉट्सऐप, यूट्यूब जैसे साधनों से जुड़ रहे हैं। खेती को बेहतर बनाने में सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े इन प्लेटफॉर्म की उपयोगिता बढ़ी है। भारत में आज भी ज्यादातर खेती मौसम की स्थिति पर टिकी है, जिसमें ज्यादा जोखिम है, लेकिन अब किसान घर बैठे कृषि वैज्ञानिकों के बताए तरीकों द्वारा इन समस्यायों से काफी हद तक निपट रहे हैं।

कृषि में नवीन तकनीकों की उपयोगिता

- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस:** कृषि-क्षेत्र में वृद्धि व विकास हेतु उसके कारकों की पहचान करना आवश्यक है, जो बेहतर उपज और खेतों के गुणवत्ता की पूर्ण जानकारी देने में योगदान कर सकते हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है, कृषि में इस नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग से कई समस्याओं का समाधान संभव हो पाता है, जैसे मौसम की स्थिति, फसल के प्रकार, पोषक तत्वों की आवश्यकता, सबसे उपयुक्त मिट्टी के प्रकार, आदि। इसी संदर्भ में सरकार ने एआई के सहयोग से कृषि क्षेत्र के उत्थान हेतु आईबीएम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया है।
- **मोबाइल टेक्नोलॉजी:** इस आधुनिक तकनीक के सहयोग से एक किसान खेत में प्रत्येक जगह जाये बिना अपनी सिंचाई

प्रणाली को फोन या कंप्यूटर से नियंत्रित कर सकता है। मोबाइल तकनीक फसल सिंचाई प्रणालियों की निगरानी और नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

- **ड्रिप सिंचाई:** ड्रिप सिंचाई जल संरक्षण की तकनीक है जो विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्लास्टिक पाइप और कम डिस्चार्ज उत्सर्जक के नेटवर्क के माध्यम से पौधों की जड़ों तक पानी की धीमी और नियमित रूप से उपलब्धता सुनिश्चित करती है।
- **अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी:** अल्ट्रासाउंड जानवरों में न केवल गर्भ में बच्चे की जाँच के लिए उपयोगी है बल्कि, इसका उपयोग यह पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है कि बाजार में जाने से पहले एक जानवर में मांस की गुणवत्ता क्या हो सकती है या होगी। यह तकनीक मिश्रित कृषि के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है।
- **डीएनए टेस्टिंग:** डीएनए के परीक्षण से उत्पादकों को अच्छे वांछनीय गुणों वाले जानवरों की पहचान करने में मदद मिलती है। इस जानकारी का उपयोग किसान द्वारा अपने मवेशियों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस तकनीक द्वारा फसलों के जेनेटिक सुधार कर उनकी गुणवत्ता को भी बढ़ाया जा सकता।
- **कृषि ड्रोन:** कृषि ड्रोन उत्पादन क्षेत्र में विशेष रूप से समय और जनशक्ति के संदर्भ में सरल और प्रभावी तकनीकी उपकरण हैं। ड्रोन त्वरित गतिविधियों से समय की बर्बादी को खत्म करता है। साथ ही खेतों की निगरानी में किसानों के लिए कृषि ड्रोन बहुत उपयोगी होते हैं।
- **कृषि यंत्रीकरण:** अधिकांश कृषि गतिविधियाँ काफी हद तक यंत्रीकृत हैं। छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी द्वारा उच्च प्रौद्योगिकी आधारित मशीनों का उपयोग किया जा रहा है इसलिए भारत सरकार द्वारा कृषि यांत्रिकीकरण पर उप मिशन (Sub-Mission on Agricultural Mechanization (SMAM)) जैसी योजनाएं शुरू की गयी थी। एसएमएएम कार्यक्रम के तहत, सरकार देश के प्रत्येक किसान को उसके खेत के लिए उपयुक्त मशीनों की पहुंच सुनिश्चित करती है।

कृषि में प्रौद्योगिकी का महत्व

- भारत में जहां जल संकट, मरुस्थलीकरण, फसल के कीटरोग और बुनियादी ढांचे की लगातार कमी से कृषि क्षेत्र को खतरा बना हुआ है, वहीं तकनीकी प्रगति समस्याग्रस्त स्थिति को दूर करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है।

- ई-तकनीक ने प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में रोबोटिक्स और सेंसिंग (सेंसर डिवाइस) में महत्वपूर्ण प्रगति के साथ-साथ अधिक परिष्कृत, प्रभावी और कुशल कृषि पद्धतियों के विकास में भी मदद की है।
- ड्रोन एवं संचार प्रौद्योगिकी, फसलों की पूरी तरह से निगरानी कर सकती हैं, इसके अलावा बुवाई के लिए अनुकूल मौसम, फसल की आवश्यकता और अन्य पैदावार की स्थिति की भविष्यवाणी कर सकती है।
- इस तकनीकी के युग में किसान व्यापारियों पर भरोसा किए बिना नवीन प्रौद्योगिकी को अपना कर, स्वयं बाजार पर नियंत्रण पा सकता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों को फसलों की जानकारी के साथ उपज बेचने के लिये बाजारों के बारे में बेहतर जानकारी दी जाती है, साथ ही बाजार की मौजूदा कीमतें और बाजार में वस्तुओं की मांग की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे किसान उचित मूल्य और सही समय पर उपज बेचने के लिये उचित निर्णय ले सकते हैं।
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में डिजिटल टूल्स और डेटा प्रबंधन में निरंतर सुधार से कृषि क्षेत्र में किसानों और शोधकर्ताओं के बीच सहयोग को प्रोत्साहन मिल रहा है। किसानों के लिए फसल की पैदावार में सुधार हेतु वैज्ञानिक डेटा का उपयोग और खेती के अत्याधुनिक तरीकों से खुद को अपडेट रखना अब संभव हो रहा है। यदि कृषि के इस आधुनिकरण को निकट भविष्य में व्यापक रूप से लागू किया जाता है, तो लाखों किसान वास्तविक समय (रियल टाइम) में अपने खेतों से सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लाभान्वित हो सकेंगे।

कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के विकास हेतु किये गये सरकारी प्रयास

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा 100 से अधिक मोबाइल एप्लिकेशन भी विकसित किये गये हैं जो इनकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

- ये मोबाइल ऐप फसलों, बागवानी, पशु चिकित्सा, डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य पालन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे विषयों के क्षेत्रों में किसानों को बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। साथ ही इसमें विभिन्न वस्तुओं के बाजार मूल्य, मौसम से संबंधित जानकारी, सेवाएँ आदि शामिल हैं।
- पंजीकृत किसानों को SMS के माध्यम से विभिन्न फसल संबंधी मामलों पर सलाह भेजने के लिये mKisan पोर्टल (www-mkisan-gov-in) का विकास किया गया है।
- इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2016 में ई-नाम (eNAM) नामक पोर्टल की शुरुआत की गई थी। ई-नाम एक पैन इंडिया ई-व्यापार प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत किसान अपने नजदीकी बाजार से अपने उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री कर सकते हैं तथा व्यापारी कहीं से भी उनके उत्पाद के लिये मूल्य चुका सकते हैं।
- ध्यातव्य है कि 2 अप्रैल 2020 को COVID-19 के मद्देनजर देशभर में लॉकडाउन के दौरान मंडियों से भीड़भाड़ कम करने हेतु ई-नाम पोर्टल में संशोधन कर एफपीओ ट्रेड मॉड्यूल, लॉजिस्टिक्सन मॉड्यूल और ईएनडब्ल्यूआर (eNWR) आधारित भंडारण मॉड्यूल की शुरूआत की गई थी। 2 अप्रैल 2020 से अब तक 'ई-नाम' पोर्टल पर 15 राज्यों के 82 एफपीओ ने 12048 क्विंटल (2.22 करोड़ रूपये के) जिंसों का कारोबार किया है।
- हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की 177 नई मंडियों को कृषि उत्पाद के विपणन हेतु 'ई-नाम' (e-NAM) पोर्टल से जोड़ा है।
- देश भर के सभी किसानों को 2 वर्ष के चक्र के भीतर एक बार मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने में सहायता की जा रही है। इसके माध्यम से किसानों को मृदा के पोषक तत्वों की स्थिति की जानकारी प्रदान की जाती है साथ ही फसल उत्पादकता में वृद्धि करने तथा मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिये किसानों को उचित पोषक तत्वों का उपयोग करने की सलाह भी दी जाती है।
- किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ऑयल सीड्स और ऑयल पाम) के तहत बीज उपलब्ध करवाना, तकनीक का अंतरण (ट्रांसफर) करना, उत्पादन इकाइयों तथा जल संसाधन का उपयोग करने के लिए आवश्यक उपकरणों को भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
- कृषि-मौसम विज्ञान और भूमि आधारित अवलोकन परियोजना, बागवानी आकलन और प्रबंधन पर समन्वित प्रोग्राम के लिये भू-सूचना विज्ञान का उपयोग, राष्ट्रीय कृषि विकास आकलन और निगरानी प्रणाली जैसी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से भी कृषि को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

चुनौतियाँ

- यदि भारत कृषि नवाचार के साथ तकनीकी विकास की दर को बराबर रखता है; भविष्य में अधिक उत्पादकता और उच्च दक्षता की उम्मीद की जा सकती है, परन्तु वर्तमान समय में किसानों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है:
  - किसानों के पास खेती से संबंधित विभिन्न संसाधनों और उनके उपयोग करने के तरीके के बारे में पर्याप्त ज्ञान का अभाव है।
  - प्रौद्योगिकी का वितरण भी पूरे देश में असमान है विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में , जहाँ ई-प्रौद्योगिकी की पहुंच वास्तव में खराब है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त कनेक्टिविटी के साथ-साथ बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान की कमी, इलेक्ट्रॉनिक-कृषि का तेजी से विकास में बाधाकारक बन जाती है।
  - हालाँकि धनी किसान प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं और अपनी सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन छोटे और सीमांत किसान नई तकनीकों को वहन करने में अभी भी असमर्थ हैं।
  - डिजिटल साक्षरता का प्रसार कर करने के लिए व्यवस्थित कार्यक्रमों की कमी है ,जो कि आधुनिक कृषि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

आगे की राह

- कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों को कृषि डेटा प्राप्त करने के लिए अधिक समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी और आपदा के समय तो आपदा की चेतावनी और मौसम की रियल टाइम जानकारी तक उनकी पहुंच होगी। चूँकि कृषि का देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है, इसलिये आवश्यक है कि कृषि को बेहतर बनाने के लिये निरंतर प्रयास किया जाए।
- कृषि क्षेत्र को टॉप टू डाउन नीति और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है, जहां प्रगति वास्तविक होती हो और जिसमें अधिक से अधिक बाधाओं को हर स्तर पर समझा जा सकता है साथ ही किसानों को कृषि की उन्नत एवं वैज्ञानिक तकनीकों और तरीकों से अवगत कराने का प्रयास किया जाना चाहिये जिससे कि कृषि में नुकसान को कम किया जा सके।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का प्रतिरूप, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन, संबंधित मुद्दे और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई-प्रौद्योगिकी।

प्र. वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिला है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कृषि में प्रौद्योगिकीकरण किसानों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी? मूल्यांकन कीजिए।

02 चीन की वुल्फ वारियर्स डिप्लोमेसी : एक अवलोकन

चर्चा में क्यों

- हाल ही में कई देशों ने कोरोना वायरस के मानव-से-मानव संचरण शुरू होने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ पूरी जानकारी साझा नहीं करने के लिए, चीन को दोषी माना है। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में कोरोना का पहला मामला सामने आने के बाद से अब तक दुनिया में करीब लाखों लोगों को मौत हो चुकी है। इस भयावह स्थिति को देखते हुए एशिया हो या अमेरिका या फिर यूरोप हर जगह से चीन के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं।
- चीन पर आरोप है कि उसने कोविड-19 महामारी की न सिर्फ जानकारी छुपाई बल्कि उसे वैश्विक रूप से रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई में देरी की। इन आरोपों के बीच चीनी राजदूतों का बेहद आक्रामक रुख देखने को मिला है। इस संदर्भ में चीन अब खुल कर 'वुल्फ वॉरियर्स डिप्लोमेसी' पर अमल करते हुए दिखाई दे रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने हाल ही में एक प्रेस वार्ता में कहा कि चीन को जानबूझ कर अपमानित किया जा रहा है और अब वे इसका जोरदार प्रतिकार करेगें।

क्या है वुल्फ वॉरियर्स डिप्लोमेसी

- चीन की नयी आक्रामक नीति को वुल्फ वारियर्स डिप्लोमेसी कहा जाता है। वुल्फ वॉरियर राजनयिकों की ऐसी नई पीढ़ी से ताल्लुक रखता है जो काफी आक्रामक हैं। उन्हें यह नाम एक ब्लॉकबास्टर फिल्म के नाम पर दिया गया है। उग्र राष्ट्रवाद पर आधारित यह फिल्म 'वुल्फ वारियर्स' सीरीज की ऐसी सुपर हिट फिल्म हुई कि जनता और सरकार का नजरिया ही बदल गया।
- चीन में उदारवादी विदेशनीति की जगह आक्रमक विदेशी नीति अपनाने पर जोर दिया जाने लगा।

- इसी समय चीन ने अपना लक्ष्य स्पष्ट कर दिया था कि वह आर्थिक रूप से वर्तमान में अमेरिका के समकक्ष होने का प्रयास करेगा और आने वाले भविष्य में उससे आगे निकल जायेगा। यह चीन की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ था।
- वुल्फ-वॉरियर्स कूटनीति का अर्थ केवल आक्रामक शब्दों से नहीं, बल्कि चीन द्वारा किए गये कोई आक्रामक कार्यों से भी है।
  - अप्रैल 2019 की शुरुआत में, एक चीनी तटरक्षक जहाज ने पेरासेल द्वीप समूह के पास एक वियतनामी मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर को डूबो दिया था। जब वियतनाम ने इसका विरोध किया, तो चीन के विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया कि इस क्षेत्र के लिए वियतनाम के दावे अवैध हैं।
  - इसके बाद ही चीनी प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय और नागरिक मामलों के मंत्रालय ने संयुक्त रूप से अन्य दावेदारों के विरोध को नजरअंदाज करते हुए दक्षिण चीन सागर में 80 द्वीपों, रीफ्स, सीमॉट्स, शॉल्स और लकीरों के नामकरण की घोषणा की। अंतिम बार चीन ने, दक्षिण चीन सागर में द्वीपों का नामकरण 1983 में किया था।

चीनी राजनयिकों की वुल्फ वॉरियर्स के रूप में भूमिका

- गौरतलब है कि वुल्फ वॉरियर्स कूटनीति के प्रभाव में आते ही चीन ने सबसे पहले भारत पर ही इसे लागू किया था। 2017 में जब डोकलाम में भारत-चीन सीमा विवाद चरम पर था तब दिल्ली स्थित चीनी राजदूत लू चाओहुई ने कहा था कि इस विवाद को सुलझाने का एक तरीका युद्ध भी है। अर्थात चीनी राजदूत ने खुलेआम भारत को युद्ध की धमकी दी थी।
- 2019 में पाकिस्तान में स्थित चीनी दूतावास के राजनयिक झाओ लिजियन अमेरिका को नस्लवादी करार देते हुए और अमेरिका के पूर्व सुरक्षा सलाहकार सुसान राइस पर अपमानजनक टिप्पणी की।
- जर्मनी में चीन के राजदूत वू केन ने दिसंबर 2019 में एक टेम्पलेट जारी किया,

जिसमें यह चेतावनी दी गयी कि अगर Huawei को जर्मनी के 5G नेटवर्क के निर्माण कार्य से बाहर रखा गया, तो जर्मन कारों के लिए चीन के बाजार में परिणाम नकरात्मक हो सकते हैं।

- द वॉल स्ट्रीट जर्नल में "चीन इज द रियल सिक मैन ऑफ एशिया" शीर्षक से एक आर्टिकल प्रकाशित होने के बाद पत्रकारों को बाहर करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच एक होड़ लग गयी और जब द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने माफी मांगने से इनकार कर दिया, तो चीन ने तीन अमेरिकी पत्रकारों को निष्कासित कर दिया। कुछ समय बाद, अमेरिकी विदेश विभाग ने पाँच चीनी मीडिया आउटलेटों को विदेशी मिशन घोषित किया, और वहां काम करने वाले चीनी नागरिकों की संख्या में भी कटौती करने लगे। प्रत्युत्तर में चीन ने और अधिक अमेरिकी पत्रकारों को निष्कासित कर दिया।
- वुल्फ वॉरियर्स डिप्लोमेसी के तहत अब चीनी राजदूत दूसरे देशों के आंतरिक मामले में भी हस्तक्षेप करने लगे हैं। कोरोना संकट के समय पेरिस स्थित चीनी दूतावास ने अपनी वेबसाइट पर लिख दिया था कि फ्रांस ने अपने बुजुर्गों को कोरोना से मरने के लिए केयर होम्स में छोड़ दिया है। चीनी दूतावास की इस टिप्पणी पर फ्रांस में बवाल मच गया था।

आक्रामकता की प्रवृत्ति का उद्भव

- 2010 के बाद से, जब चीन की जीडीपी ने जापान की जीडीपी (जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जीडीपी थी) को पछाड़ दिया, तो चीन की विदेश नीति और अधिक मुखर हो गई। तत्पश्चात चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने राजनीतिक व्यवस्था में, मार्गदर्शक सिद्धांतों में और संस्कृति में, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने लगी। वुल्फ-वारियर डिप्लोमेसी इसी बढ़ते राष्ट्रवाद का विस्तार है।
- हाल के वर्षों में, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कई मौकों पर "युद्ध निति की भावना" की वकालत की है। इससे स्पष्ट रूप से चीनी अधिकारियों और राजनयिकों का मनोबल भी बढ़ा है।
- चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक संपादकीय में कहा गया कि, वह अब बीते दिनों की बात है जब दूसरे लोग चीन को नियंत्रित कर सकते थे। चीन के लोग अब शांत राजनयिक रुख से संतुष्ट नहीं हैं। चीनी नेता मानते हैं कि अगर चीन पलटवार नहीं करता है तो यह चीन को और अधिक नुकसान पहुंचाएगा।

आगे की राह

- अपनी गौरवशाली प्राचीन सभ्यता पर गर्व करने वाले राष्ट्र के रूप में, चीन को विनम्र, परोपकारी और उदार रहना चाहिए। चीनी सरकार को उस प्रणाली में सुधार करना चाहिए जो स्थानीय अधिकारियों को ऐसे सार्वजनिक स्वास्थ्य अलर्ट की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता हो, न कि बाध्य करता हो।
- राजनीतिक, वैचारिक और सांस्कृतिक अंतर के कारण, चीनी सरकार के बारे में पश्चिमी संदेह और चीन के विकास के बारे में चिंता कभी भी खत्म नहीं होगी, बल्कि COVID-19 महामारी ने इस तरह के अविश्वास और आशंका को तो और बढ़ा दिया है। ऐसे में चीन को वैश्विक स्तर पर विनम्र शासन का प्रदर्शन करना चाहिए क्योंकि एक युद्धकारी दृष्टिकोण चीन की वैश्विक छवि को और नुकसान ही पहुंचाएगा।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

प्र. 'वुल्फ वारियर्स डिप्लोमेसी' क्या है? वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इसका मूल्यांकन कीजिए।

03 भारत–ऑस्ट्रेलिया : बढ़ती रणनीतिक भागीदारी

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ऑनलाइन शिखर सम्मेलन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा, कारोबार और रक्षा क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। साथ ही दोनों देशों ने कोरोना वायरस जैसी जानलेवा महामारी से एक साथ मिलकर लड़ने की भी प्रतिबद्धता जताई।

परिचय

- भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। 2017 में विदेश नीति पर श्वेत पत्र में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हिन्द महासागर के देशों में महत्वपूर्ण नौवहन शक्ति और ऑस्ट्रेलिया के अग्रिम सहयोगी के रूप में मान्यता दी थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक संबंध पिछले वर्षों में बढ़े हैं। वर्ष 2019 में ऑस्ट्रेलिया में भारत का निर्यात लगभग 21 बिलियन डॉलर का था, जबकि इसी अवधि में ऑस्ट्रेलिया से भारत का आयात 8 बिलियन डॉलर का था। दोनों देशों के बीच वर्तमान में लगभग 29 बिलियन डॉलर का व्यापार हो रहा है।
- भारत ऑस्ट्रेलिया का पांचवा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- यह पहला अवसर है जब प्रधानमंत्री मोदी ने आभासी माध्यम से द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया जो ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के संबंधों की मजबूती और इनमें उत्तरोत्तर विकास को दर्शाता है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, 'दो लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत और ऑस्ट्रेलिया ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर एक दूसरे के प्रति समझ विकसित की है, साथ ही स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लेकर दोनों देशों का साझा रूख है।
- ऑस्ट्रेलिया ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, भारत प्रशांत महासागर पहल (India Pacific Ocean Initiative) जैसी कई वैश्विक गतिविधियों में भारत का समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। साथ ही उसने पिछले समय में वासेनार समूह और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में भारत की सदस्यता का समर्थन किया था। ऑस्ट्रेलिया एनएसजी में भी भारत की सदस्यता का कई मौकों पर पक्ष लिया है। मंत्रालय के अनुसार, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक संबंध बढ़ रहे हैं। दोनों देश कारोबार और निवेश बढ़ाने को लेकर आशान्वित हैं।

वर्चुअल शिखर बैठक के मायने

- इस वर्चुअल शिखर बैठक में मसौदों पर वर्चुअल हस्ताक्षर भी हुए। इन मसौदों को एक नजर देख कर ही समझ आ जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मोरिसन ने क्यों इन पर दस्तखत को कोविड महामारी के ठीक होने तक टालना उचित नहीं समझा।
- साइबर और साइबर-सक्षम क्रिटिकल प्रौद्योगिकी सहयोग पर जानकारों का मानना है कि इस समझौते की अहमियत सीधे भारत और ऑस्ट्रेलिया की साइबर सुरक्षा और 5G टेक्नोलॉजी के विस्तार से जुड़ी है। 5G टेक्नोलॉजी में चीन की अहम भूमिका है। आज 5G के क्षेत्र में हुआवे और अन्य चीनी कंपनियों ने दो तिहाई से ज्यादा पेटेंट अपने नाम कर रखे हैं। दक्षिण कोरिया की सैमसंग के अलावा अधिकांश कंपनियां इस क्षेत्र में काफी पीछे हैं।
- चीनी कंपनियों पर अक्सर आरोप लगते हैं कि वह चीन सरकार से ग्राहकों और देशों के तमाम डेटा साझा करती रही हैं जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के बिलकुल खिलाफ है। यही वजह है कि अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के कई देश 5G, साइबर सक्षम और साइबर से जुड़ी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में चीन के बढ़ते दबदबे को लेकर चिंतित हैं।
- दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने पर सहमति जताते हुए कहा, शांति और स्थिरता बहाली में आतंकवाद सबसे बड़ी बाधा है। इसे जड़ से खत्म करना होगा। आतंकी गतिविधियों को किसी कीमत पर नजरंदाज नहीं किया जा सकता। दोनों ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन की मांग की। इसके अलावा नौसेना सहयोग, डब्ल्यूटीओ में सुधार और कोरोना वायरस से निपटने में भी सहयोग का वादा किया।

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नजदीकी

- भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही अलग अलग मोर्चों पर चीन के आक्रामक रवैये से परेशान हैं। जहां भारत सीमा पर चीन के अतिक्रमण से जूझ रहा है तो वहीं ऑस्ट्रेलिया पर चीन ने आर्थिक शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हालांकि दोनों देश इस बात से खुश हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने उन्हें G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत के लिए अमेरिका आमंत्रित किया है। डॉनल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच हाल में हुई फोन-वार्ता ने भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस बैठक को और महत्वपूर्ण बना दिया था।
- गौरतलब है कि तमाम कोशिशों के बावजूद, पिछले कई वर्षों से भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध उतने सुदृढ़ नहीं हो पा रहे थे जितने इन देशों के संबंध जापान और अमेरिका से रहे हैं।
- सामरिक तौर पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहमति पिछले कई दशकों से रही है, लेकिन इसमें वैसी गहराई और पैनापन नहीं था जैसा इन दोनों ही देशों का जापान के साथ रक्षा और सामरिक संबंधों में है।
- "पारस्परिक लॉजिस्टिक्स सपोर्ट से संबंधित व्यवस्था" और रक्षा सहयोग के एमओयू से जुड़े रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग पर अमल से उस दिशा में काफी आगे बढ़ने की आशा है। इससे दोनों देशों की सेनाओं के बीच रक्षा अभ्यास और इंटर-ओपरेबिलिटी बढ़ेगी जो एक बड़ा कदम है।
- भारत का जापान और अमेरिका से भी इसी तरह का समझौता है। इससे स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया भारत की चतुर्देशीय मालाबार युद्ध-अभ्यास का हिस्सा भी बनेगा। पिछले सालों में भारत ऑस्ट्रेलिया की मालाबार में शामिल होने की इच्छा को चीन की वजह से नजरअंदाज करता रहा है।

सामरिक खनिजों के खनन पर सहयोग

- दोनों देशों ने सामरिक खनिजों के खनन और प्रसंस्करण पर भी एक समझौते को मंजूरी दी है। इसका महत्व भी चीन के संदर्भ में बहुत बढ़ जाता है। चीन ऑस्ट्रेलिया से सामरिक खनिजों का आयात करने वाला सबसे बड़ा देश है। हाल के दिनों में चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर आर्थिक रूप से दंडात्मक कार्रवाई की है।
- ऑस्ट्रेलिया ने डब्ल्यूएचओ में चीन की इच्छा के विपरीत न सिर्फ कोविड-19 वायरस की उत्पत्ति की निष्पक्ष जांच की मांग की थी बल्कि ताइवान को डब्ल्यूएचओ में शामिल करने की गुहार भी लगाई थी। ये दोनों बातें चीन को नागवार गुजरीं।
- सामरिक खनिजों के खनन के मुद्दे पर भारत से समझौता साफ करता है कि ऑस्ट्रेलिया चीन से अपने व्यापार को दूसरी ओर मोड़ कर अपनी निर्भरता को कम करना चाह रहा है। भारत इस क्षेत्र में अच्छा आयातक हो सकता है। इन मसौदों के अलावा लोक प्रशासन और शासन सुधार, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण और जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्रों में सहयोग के समझौतों को भी मंजूरी दी गयी।
- अगर हम इन तमाम संधियों को ध्यान में रखें तो ऐसा लगता है भारत, जापान और अमेरिका के साथ संबंधों की तर्ज पर ही ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध प्रगाढ़ करने की ओर अग्रसर है और ऐसा हुआ तो चारों देशों के बीच समेकित रूप में क्वाड्रीलेटरल (Quadilateral) सहयोग भी मूर्त रूप लेगा।
- इस प्रकार देखा जाये तो चीन को लेकर दोनों देशों की चिंताएं साफ तौर पर नरेंद्र मोदी और स्कॉट मोरिसन के वक्तव्यों में दिखीं। दोनों ही नेताओं ने रूल ऑफ लॉ, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में पारदर्शिता और नियमों के पालन पर जोर दिया और साथ ही इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को नियमबद्ध, समावेशी और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया।

आगे की राह

- ऑस्ट्रेलिया उन चुनिंदा देशों में से एक है जिन्होंने 'नियंत्रित अनुकूलन' (Controlled Adaptation) के माध्यम से अब तक वैश्विक महामारी COVID-19 का मुकाबला करने में कामयाबी हासिल की है। इसलिए भारत को स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये ऑस्ट्रेलिया से सबक सीखने की आवश्यकता है।
- भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को और सशक्त करने के लिए यह उपयुक्त समय, उपयुक्त मौका है। अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए हमारे पास असीम संभावनाएं हैं। दोनों देशों को तय करना चाहिए कि कैसे आपसी संबंधों से अपने क्षेत्र के लिए और विश्व के लिए एक स्थिरता का कारक बनें, कैसे दोनों देश मिलकर कर वैश्विक बेहतरी के लिए कार्य करें, इन सभी पहलुओं पर विचार की आवश्यकता है। विश्व को कोविड-19 महामारी के आर्थिक और सामाजिक दुष्प्रभावों से जल्दी निकलने के लिए एक समन्वित और एकजुट पहल की आवश्यकता है इसलिए दोनों देशों के बीच समग्र सामरिक गठजोड़ की भूमिका और महत्वपूर्ण रहेगी।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

प्र. विश्व की राजनीति में चीन के बढ़ते दखल को देखते हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों पर प्रकाश डालिए।

04 G7 का विस्तार : बदलते शक्ति संतुलन का संकेत

चर्चा का कारण

- अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जी-7 ग्रुप को निरर्थक बताते हुए इसकी आगामी बैठक सितंबर तक के लिए टाल दी है। उन्होंने इसका विस्तार करके जी-10 या जी-11 में बदलकर भारत और दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं (ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रूस) को शामिल करने की वकालत भी की है।
- गौरतलब है कि जी-7 के 46वें शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के कैंप डेविड (Camp David) में 10-12 जून के मध्य किया जाना था। बीते वर्ष 45वाँ G-7 शिखर सम्मेलन 24-26 अगस्त को फ्राँस के बिआरित्ज (Biarritz) में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के विशेष निमंत्रण पर एक विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया था।

प्रमुख बिन्दु

- डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 महामारी के बीच आर्थिक गतिविधियों को दोबारा शुरू करने के लिए जून के आखिर में जी-7 समिट बुलाने का सुझाव दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने संवाददाताओं से कहा कि वह समिट को सितंबर तक के लिए स्थगित कर रहे हैं।
- इसके अलावा रूस, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत को इस ग्रुप में आमंत्रित करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता दुनिया में जो कुछ हो रहा है, उसके संदर्भ में जी-7 विश्व का सही मायने में प्रतिनिधित्व कर पा रहे हैं। अब यह समूह अप्रासंगिक हो चुका है। इसलिए यह जी-10 या जी-11 बन सकता है।
- ट्रंप के अनुसार उन्होंने जी-7 के विस्तार पर उन चार देशों के नेताओं से बात कर ली है जिन्हें वह ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं। ट्रंप रूस को ग्रुप को दोबारा शामिल करने के बारे में पहले ही कह चुके हैं। गौरतलब है कि 2014 में, रूस को निष्कासित कर दिया गया था क्योंकि उसने यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र को अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया था। हालांकि वर्ष 2016 में राष्ट्रपति के तौर पर अपने चुनाव के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप विभिन्न अवसरों पर रूस के वैश्विक रणनीतिक महत्त्व को देखते हुए उसे पुनः समूह में शामिल करने की बात पर जोर दे चुके हैं।

जी-7 क्या है

- जी-7 दुनिया की सात सबसे बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमरीका शामिल हैं। इसे ग्रुप ऑफ सेवन (Group of Seven) भी कहते हैं।
- G-7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन 1975 में हुआ था। इसका गठन विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा विश्व के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में किया गया था। विदित हो कि कनाडा 1976 में इस समूह में शामिल हो गया, और यूरोपीय संघ 1977 में भाग लेने लगा।
- शुरुआत से ही आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा एक प्रयास के रूप में गठित, जी -7 फोरम ने दशकों से कई चुनौतियों के बारे में विचार-विमर्श किया है, जैसे कि 1970 के दशक में तेल संकट, पूर्व सोवियत ब्लॉक राष्ट्रों के आर्थिक बदलाव, और वित्तीय संकट, आतंकवाद, हथियारों पर नियंत्रण और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे कई मुद्दे।
- वर्ष 1997 में रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद कई वर्षों तक G-7 को 'G-8' के रूप में जाना जाता था, किन्तु वर्ष 2014 में रूस को क्रीमिया विवाद के बाद समूह से निष्कासित कर दिये जाने के पश्चात् समूह को एक बार पुनः G-7 कहा जाने लगा।
- जी-7 का औपचारिक संविधान या एक निर्धारित मुख्यालय नहीं है। वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं द्वारा लिए गए निर्णय गैर बाध्यकारी हैं। पिछले कुछ दशकों में भारत, चीन और ब्राजील के उदयीमान अर्थव्यवस्था ने जी-7 की प्रासंगिकता कम कर दी है, गौरतलब है कि जी -7 समूह की वैश्विक जीडीपी

में हिस्सेदारी गिरकर अब लगभग 40% हो गई है।

जी-7 की आलोचना क्यों

- जी-7 की आलोचना यह कह कर की जाती है कि यह कभी भी प्रभावी संगठन नहीं रहा है, हालांकि यह समूह कई सफलताओं का दावा करता है, जिनमें एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए वैश्विक फंड की शुरुआत करना भी है। समूह का दावा है कि इसने साल 2002 के बाद से अब तक 2.7 करोड़ लोगों की जान बचाई है। समूह यह भी दावा करता है कि 2016 के पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने के पीछे इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

जी-11 का सफर कितना आसान एवं चीन का पेंच

- G7 की स्थापना के समय जिन सात देशों को इसमें शामिल किया गया, वे काफी उन्नत और प्रगतिशील थे, लेकिन अब स्थिति काफी बदल गई है। पिछले कुछ वर्षों में भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया और रूस आर्थिक शक्तियों के रूप में उभरे हैं। इसलिए यूएस चाहता है कि G7 के स्वरुप में परिवर्तन किया जाए।
- कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन चीन को इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर रखने में अमेरिका के साथ हैं। हालांकि, चीन ने अमेरिका के कदम का विरोध किया है। वहीं रूस भी उसके सहयोगी के तौर पर सामने आया है। रूस का कहना है कि G-7 का विस्तार होना चाहिए, लेकिन चीन के बिना इसका कोई मतलब नहीं। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि G-7 के विस्तार का फैसला सही दिशा में उठाया गया कदम है, लेकिन यह वास्तव में सही प्रतिनिधित्व नहीं दर्शाता। क्योंकि यह स्पष्ट है कि चीन के बिना गंभीर वैश्विक मुद्दों को हल नहीं किया जा सकता'।
- जानकारों का मानना है कि अमेरिका कोरोना महामारी को लेकर चीन को दंडित करना चाहता है और इसीलिए जी-7 में उसे शामिल करने का जिक्र नहीं किया। इसके बावजूद रूस चीन की हिमायत कर रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि मध्य एशिया में चीन का प्रभाव जिस तेजी से बढ़ रहा है उससे रूस के हित भी प्रभावित होंगे, लेकिन वह इस पर ध्यान देना नहीं चाहता।
- इस बीच चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका भारत को जी-7 में शामिल कर चीन की घेराबंदी करने की कोशिश में है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि जी-7 का विस्तार भूराजनीतिक गणित पर आधारित है। चूंकि भारत दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है इसके अलावा अमेरिका की इंडो-पैसिफिक (indo-pacific) क्षेत्र में संतुलन करने के लिए भारत की भूमिका को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।
- चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि भारत एक बड़ी शक्तिशाली देश का दर्जा हासिल करने के लिए अमेरिका की मदद चाहता है, वहीं इसके बदले में भारत अमेरिका के इंडो पैसिफिक रणनीति को लागू करने के लिए तैयार है। सरकारी अखबार ने आरोप लगाया है कि चीन को घेरने के लिए अमेरिका की कई योजनाओं में भारत की सक्रिय भूमिका है।
- चीन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवथा है, फिर भी वो इस समूह का हिस्सा नहीं है। इसकी वजह यह है कि यहां दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती हैं और प्रति व्यक्ति आय संपत्ति जी-7 समूह देशों के मुकाबले बहुत कम है। ऐसे में चीन को उन्नत या विकसित अर्थव्यवस्था नहीं माना जाता है, जिसकी वजह से यह समूह में शामिल नहीं है। हालांकि चीन जी-20 देशों के समूह का हिस्सा है, इस समूह में शामिल होकर वह अपने यहां शंघाई जैसे आधुनिकतम शहरों की संख्या बढ़ाने पर काम कर रहा है।

आगे की राह

- जी-7 समूह की आलोचना इस बात के लिए की जाती है कि इसमें मौजूदा वैश्विक राजनीति और आर्थिक मुद्दों पर बात नहीं होती है। इसके अलावा अफ्रीका, लैटिन अमरीका और दक्षिणी गोलार्ध का कोई भी देश इस समूह का हिस्सा नहीं है। भारत और ब्राजील जैसी तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं से इस समूह को चुनौती मिल रही है जो जी-20 समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन जी-7 का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे में जानकारों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिये वैश्विक संस्थानों और समूहों में सुधार करने की आवश्यकता है।
- बीजिंग के साथ अपनी सीमा के तनाव के बावजूद, भारत को अमेरिका और चीन के बीच एक नए शीत युद्ध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस समूह में शामिल होने के अपने उद्देश्यों पर विचार करना चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

प्र. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि जी -7 समूह में मौजूदा वैश्विक राजनीति और आर्थिक मुद्दों पर बात नहीं होती है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिये।

05 कोविड-19 के दौरान गैर-संचारी रोगों के उपचार की चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों

- हाल ही में WHO द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार, COVID-19 महामारी के शुरू होने के बाद से गैर-संचारी रोगों (NCDs) के लिए रोकथाम और उपचार सेवाएं गंभीर रूप से बाधित हो गई हैं। बहुत से लोग जिन्हें कैंसर, हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियों के इलाज की आवश्यकता है वे इससे संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

पृष्ठभूमि

- पिछले महीने 155 देशों में किए गए सर्वे में संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी को एक चिंताजनक समस्या के बारे में पता चला है। यह समस्या उन लोगों से संबंधित है जो गैर संचारी रोगों से पीड़ित हैं और उन्हें उचित स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। इनमें से कई लोग कोविड-19 बीमारी से भी ज्यादा खतरे में हैं। सर्वे के मुताबिक कई देशों में स्वास्थ्य सेवाएं आंशिक रूप से या पूरी तरह से बाधित हो गई हैं।
- सर्वे में शामिल देशों में आधे से अधिक (लगभग 53%) उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए, 49% मधुमेह और मधुमेह से संबंधित रोगों के उपचार के लिए, 42% कैंसर के इलाज के लिए और 31% हृदय संबंधी आपात स्थितियों के लिए दी जाने वाली सेवायें आंशिक या पूरी तरह से बाधित है।
- सेवाओं को बंद करने या कम करने के लिए सबसे आम कारण कोरोना महामारी थी क्योंकि इसी के कारण नियोजित उपचारों को रद्द करना पड़ा, सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता में कमी आयी और साथ ही कर्मचारियों की कमी का भी सामना करना पड़ा। क्योंकि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविड-19 के उपचार हेतु निर्दिष्ट कर दिया गया था।

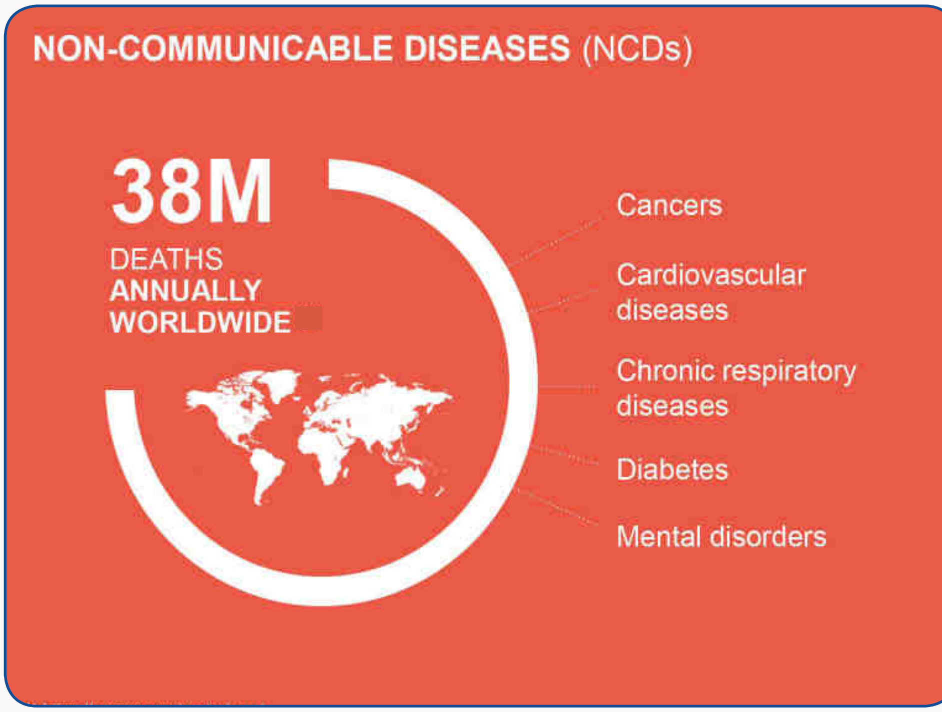

- अन्य प्रमुख क्षेत्रों में भी परिणाम लगभग समान है, जैसे तपेदिक के उपचार में माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य देखा जाता है क्योंकि इसका प्रभाव दोनों पर हो सकता है परन्तु अब महामारी के परिणाम स्वरुप दोनों में मृत्यु दर की वृद्धि देखी जा रही है।

वैश्विक स्थिति

- गैर-संचारी रोग के कारण प्रत्येक वर्ष 41 मिलियन लोग मरते हैं, जो वैश्विक स्तर पर सभी मौतों के 71% के बराबर है। प्रत्येक वर्ष, 30 से 69 वर्ष की आयु के बीच के 15 मिलियन लोग एनसीडी से मर जाते हैं, इनमें से 85% से अधिक (समय से पहले मौतें) कम और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार पांच देशों में से एक में स्वास्थ्य सेवाओं को बंद करने का एक मुख्य कारण दवाओं, डायग्नोस्टिक्स और अन्य तकनीकों की कमी थी।
- अप्रत्याशित रूप से देखा जाये तो प्रतीत होता है कि एक देश में एनसीडी के उपचार और कोरोना महामारी उपचार हेतु दी जाने वाली सेवाओं में व्यवधान के बीच सह-संबंध है। अधिकतर देशों में कोरोनोवायरस के बढ़ने के कारण गैर-संचारी रोगों से संबंधित सेवाएं तेजी से बाधित हो रही है।
- हालाँकि वैश्विक स्तर पर, दो-तिहाई देशों ने बताया कि उन्होंने एनसीडी सेवाओं को अपनी राष्ट्रीय COVID-19 की तैयारियों और प्रतिक्रिया योजनाओं (प्रिप्रेशन एंड रेस्पोंस प्लान) में भी शामिल किया है। इसमें उच्च आय वाले देशों से 72% की तुलना में निम्न-आय वाले देशों से 42% सेवाएँ शामिल थी, जिसमें हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह और पुरानी श्वसन बीमारी को दूर करने हेतु सेवाएं मुख्य रूप से सम्मिलित थीं परन्तु दंत चिकित्सा सेवाओं, तंबाकू निषेध व पुनर्वास गतिविधियों को शामिल नहीं किया गया था।
- सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप अब अधिकांश देशों में वैकल्पिक रणनीतियां बनायी जा रही है, जो लोगों को कोविड-19 के बीच गैर-संचारी रोगों से भी राहत प्रदान करने में सहयोग करें। रिपोर्ट के अनुसार 17 प्रतिशत देशों ने अपने राष्ट्रीय कोविड-19

योजना में एनसीडी सेवाओं के प्रावधान को शामिल करने के लिए सरकार के बजट से अतिरिक्त धन आवंटित करना शुरू कर दिया है।

- वैश्विक स्तर पर 58% देश अब लोगों को परामर्श देने हेतु टेलीमेडिसिन (टेलीफोन या ऑनलाइन माध्यमों से सलाह) का उपयोग कर रहे हैं। 70% से अधिक देशों ने COVID-19 के ऐसे रोगियों की संख्या पर डेटा एकत्र किया है, जिन्हें कोई गैरसंचारी रोग भी है।

भारत की स्थिति

- अन्य देशों के समान भारत में भी कोविड-19 मामलों का बोझ बढ़ने के साथ-साथ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ता जा रहा है। भारत में गैर-संचारी रोगों वाले लोगों की एक बड़ी संख्या है, जिन्हें नियमित निगरानी और देखभाल की जरूरत होती है। परन्तु महामारी के कारण गैर-संचारी रोगों के देखभाल में कई व्यवधान आ रहे है और इन व्यवधानों को दूर करने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों में सुधार की तत्काल आवश्यकता है।
- हालांकि टेलीमेडिसिन एक आशाजनक विकल्प है, जो कि प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों पर निर्भर है, परन्तु ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए केवल स्वास्थ्य प्रणालियों और सिस्टम का एकीकरण कर लेना ही काफी नहीं होगा। एनसीडी पर राष्ट्रीय रजिस्ट्री की अनुपस्थिति से भारत में अभी तक सार्वजनिक रूप से बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन देश भर में लोगों की असंतोषजनक स्थिति ही वास्तविक जानकारी दे रही है, कि कैसे पिछले तीन महीनों में डायलिसिस जैसी नियमित लाइव-सेविंग सेवाएं, रसायन चिकित्सा और रक्त आधान अनुपलब्ध हो गए हैं। अधिकांश निजी अस्पताल, नर्सिंग होम और निजी क्लीनिक ने अपनी ओपीडी और अन्य सेवाएं बंद कर दी है।
- ब्रिटिश जर्नल ऑफ सर्जरी में पिछले महीने प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि कोविड-19 के 12 पीक सप्ताह के दौरान, भारत में हर हफ्ते 48,700 से अधिक सर्जरी रद्द कर दी गई, लगभग 60% कैंसर सर्जरी की योजना को स्थगित कर दिया गया, अर्थात लगभग 51,000 से अधिक कैंसर पीड़ितों का इलाज नहीं हो सका। भारत में हर साल कैंसर के दस लाख से अधिक नए मामले सामने आते हैं। चूंकि अधिकांश अस्पताल बड़े शहरों में हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अक्सर उपचार के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।

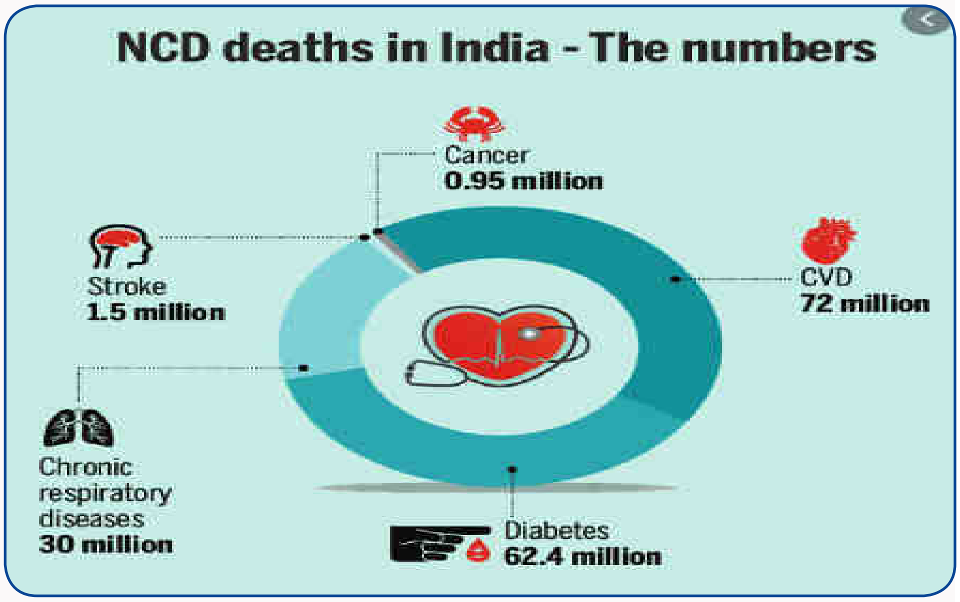

निष्कर्ष

- एनसीडी से ग्रसित लोग आवश्यक उपचार ना मिलने के कारण अन्य रोगों के प्रति भी संवेदनशील हो जाते हैं। अतः सरकार को स्वास्थ्य क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
- हमें स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए बेहतर निर्माण और उसको उचित दिशा में क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में किसी भी परिस्थिति में एनसीडी के रोकथाम, निदान और देखभाल की सेवाएँ प्रदान करने के लिए बेहतर तरीके उपलब्ध हो।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्र. कोविड-19 महामारी के कारण गैर-संचारी रोगों की अनदेखी आने वाले समय में कितनी गंभीर चुनौती पेश करेगी? समीक्षा करें।

06 भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य : कारण व प्रभाव

चर्चा का कारण

- कोविड-19 महामारी के संकट से जूझ रहे किसानों के लिए हाल ही में 'आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति' (Cabinet Committee on Economic Affairs-CCEA) द्वारा विपणन वर्ष 2020-21 हेतु खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support price-MSP) में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की गयी है।

प्रमुख बिन्दु

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति की बैठक में विपणन वर्ष 2020-21 के खरीफ सीजन वाली 14 अधिदिष्ट फसलों (Mandated Crops) के न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी।
- विपणन वर्ष 2020-21 के लिए खरीफ सीजन की कुछ प्रमुख अधिदिष्ट फसलों के एमएसपी में वृद्धि इस प्रकार की गयी है-
  - कपास की लम्बे रेशे वाली फसल हेतु एमएसपी को 5,550 रूपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5,825 रूपये प्रति क्विंटल तथा मध्यम रेशे वाली फसल के लिए 5,225 रूपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5,515 रूपये प्रति क्विंटल दिया गया है।
  - धान की फसल हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य में 1,815 रूपये प्रति क्विंटल से वृद्धि करके 1,868 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
  - उपर्युक्त के अलावा काला तिल (नाइजरसीड) में 755 रूपये प्रति क्विंटल, तिल में 370 रूपये प्रति क्विंटल, उड़द में 300 रूपये प्रति क्विंटल, बाजरा में 83 प्रतिशत, तूर में 58 प्रतिशत और मक्का में 53 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है (इनके एमएसपी में)।

न्यूनतम समर्थन मूल्य

- भारत में कृषि विकास की रणनीति का एक महत्त्वपूर्ण पहलू उचित कृषि कीमत को लागू करना, रहा है। इस संदर्भ में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) एक महत्त्वपूर्ण अवधारणा है।
- एमएसपी, सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली एक न्यूनतम कीमत होती है, जिस पर किसान चाहें तो सरकार को अपना माल बेच सकते हैं, यदि बाजार की कीमत कम है। इस प्रकार एमएसपी किसानों को बाजार जोखिम (Market Risk) के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है।
- भारत में एमएसपी की अवधारणा को लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिशों पर 1965 में लागू किया गया था।
- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (Commission on Agricultural Cost and Price) की सिफारिशों के आधार पर एमएसपी की घोषणा फसलों की बुवाई से पहले की जाती है, ताकि किसान किसी फसल की बुवाई करने या न करने का निर्णय कर सकें।
- एमएसपी के बारे में सुझाव तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा दिया जाता है, लेकिन इसके बारे में अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति (सीसीईए) द्वारा ही लिया जाता है। गन्ने के लिए एफआरपी के सन्दर्भ में भी इसी प्रक्रिया को लागू किया जाता है (रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर)।
- वर्तमान में सरकार द्वारा कुल 22 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है जिसमें से 14 खरीफ, 6 रबी और दो वाणिज्यिक फसलें हैं। सरकार द्वारा घोषणा तो 22 फसलों के लिए की जाती है किन्तु यह लागू 24 फसलों पर होती है। दो अन्य फसलें (तोरिया एवं डिहस्कड नारियल) की एमएसपी सरकार द्वारा घोषित अन्य दो फसलों (सरसों एवं नारियल) के मुताबिक होती है। तोरिया की एमएसपी सरसों और डिहस्कड नारियल (Dehusked Coconut) की नारियल के मुताबिक होती है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण

- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा एमएसपी का सुझाव देते समय उत्पादन की लागतों को मुख्य आधार बनाया जाता है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा पूर्व में सी-2 मानक (C_2 standard) को ध्यान में रखा जाता था, किन्तु सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 से 'A_2+FL' मानक को प्रयुक्त करने की घोषणा की।
- वर्तमान में आयोग द्वारा 'A_2+FL' मानक के आधार पर फसल की उत्पादन लागत निकाली जाती है और सरकार द्वारा एमएसपी का निर्धारण इसी उत्पादन लागत की तुलना में 50 प्रतिशत ऊपर किया जाता है।

उत्पादन लागत के मानक

- भारत में फसलों के उत्पादन लागत को तय करने में दो मानक प्रचलन में हैं- (i) C_2 मानक, (ii) A_2+FL
- किसानों को फसल उत्पादन में आने वाली लागतों को दो भागों में बाँटा जा सकता है-

- **स्पष्ट लागतें (Explicit Costs):** किसानों द्वारा फसल उत्पादन में वस्तु या मुद्रा के रूप में आने वाली लागतों को स्पष्ट लागत कहा जाता है।
- **निहित लागतें (Implicit Costs):** इसमें किसानों द्वारा फसल उत्पादन में प्रयुक्त स्वयं के साधनों को शामिल किया जाता है, यथा-स्वयं की भूमि, स्वयं की पूँजी और पारिवारिक श्रम।

- C_2 के मानक में उपर्युक्त सभी लागतों को ध्यान में रखा जाता है इसलिए इसे व्यापक लागत (Comprehensive Cost) कहा जाता है।
- 'A_2 + FL' मानक में सभी प्रकार की स्पष्ट लागतों (भूमि का किराया सहित) को शामिल किया जाता है किन्तु निहित लागतों में सिर्फ पारिवारिक श्रम को शामिल किया जाता है। इसमें पारिवारिक श्रम के लिए एक अनुमानित मजदूरी को शामिल कर लिया जाता है।
- इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि में 'A_2 + FL' में निहित लागतों के अंतर्गत केवल पारिवारिक श्रम को ध्यान में रखा गया है। स्वयं की भूमि के लिए लगान और स्वयं की भूमि की भूमि के लिए ब्याज को ध्यान में नहीं रखा गया। यही कारण है कि किसान संगठनों द्वारा लगातार इस मुद्दें को उठाया जा रहा है कि सरकार ने एमएसपी हेतु राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह लागू नहीं किया है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ

- न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानों में कृषि की नयी तकनीक को लोकप्रिय बनाने में मदद करती है। कृषि की नयी तकनीक अधिक उत्पादन से जुड़ी होती है।
- एमएसपी को एक सामाजिक न्याय के कदम के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके माध्यम से निर्धन किसानों की सहायता की जा सकती है।
- एमएसपी ने भारत की विशाल जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में अपनी प्रमुख भूमिका निभायी है; क्योंकि एमएसपी के माध्यम से भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मपूर्णता (Self-Sufficiency) की स्थिति को प्राप्त कर पाया है।
- एमएसपी से संबंधित कृषि फसलों की कीमतों में स्थिरीकरण आता है।

राष्ट्रीय किसान आयोग

- भारत में एमएसपी की सरकारी नीति में बदलाव लाने हेतु कई समितियों एवं आयोगों का गठन किया गया है। इसी संदर्भ में सरकार ने एम.एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में सन् 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया।
- राष्ट्रीय किसान आयोग के अनुसार एमएसपी का निर्धारण C_2 की तुलना में 50 प्रतिशत ऊपर होना चाहिए। वर्तमान में कई किसान संगठन इसे लागू करने की माँग कर रहे हैं।

न्यूनतम समर्थन मूल्य से हानियाँ

- भारत में एमएसपी का लाभ कुछ विशेष क्षेत्रों (यथा-पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि) और कुछ विशेष लोगों (यथा-बड़े किसान आदि) को अधिक मिला है। इसके कारण भारत में प्रादेशिक और आय की विषमताएँ बढ़ी हैं।
- भारत में एमएसपी के निर्धारण में राजनैतिक प्रभाव रहा है जिसके कारण कृषि क्षेत्र पर कई तरह के नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं।
- एमएसपी से जुड़ी भारतीय नीति में निर्धन लोगों के माँग पक्ष पर ध्यान नहीं दिया गया है। तुलनात्मक रूप से निर्धन लोग मोटे अनाज को अधिक पसंद करते हैं लेकिन भारत में गेहूँ व चावल के लिए एमएसपी को अधिक बढ़ाने की कोशिश की गयी है। इसी कारण भारत में मोटे अनाज और दालों के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

सुझाव

- सन् 2013 में एमएसपी के बारे में सुझाव देने के लिए भारत सरकार द्वारा रमेश चन्द्र समिति का गठन किया गया था, जिसकी महत्त्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित हैं-
  - भारत में सरकार द्वारा सभी स्थानों से एमएसपी के आधार पर फसलों का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। इसलिए भारत में डीपीपी (Deficiency Price Payment-DPP) या मूल्य बीमा (Price Insurance-PI) की व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। इस व्यवस्था में सरकार द्वारा एमएसपी को घोषित किया जाता है लेकिन किसानों को यह कहा जाता है कि वे अपना माल खुले बाजार में बेचें। यदि बाजार की कीमत एमएसपी की तुलना में कम रहती है तो सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से क्षतिपूर्ण कर दी जाती है।
  - कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को कृषि नीतियों के निर्माण में भूमिका दी जानी चाहिए।

आगे की राह

- सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति ने भारत में किसानों के सशक्तिकरण और खाद्य सुरक्षा में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका को अदा किया है, अतः सरकार को इस नीति में विभिन्न विशेषज्ञ समितियों के अनुसार सुधार लाकर और प्रासंगिक बनाना चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली-उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार; बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे; प्रौद्योगिकी मिशन; पशु पालन संबंधी अर्थशास्त्र।

प्र. न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं? इस नीति के लाभ-हानि की चर्चा करते हुए इसकी सुदृढ़ता हेतु उपाय भी सुझाएँ।

07 भारत में वन्य जीवों का संरक्षण : प्रभावी कानून की आवश्यकता

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत के सबसे शिक्षित राज्य केरल में कुछ लोगों ने एक गर्भवती भूखी हथिनी को अनानास के बीच पटाखे डालकर खिला दिए। ये पटाखे हथिनी के मुंह में फट गए। इससे हथिनी के साथ-साथ उसके पेट में पल रहा बच्चा भी मर गया।
- प्राय: देखा गया है कि अतिक्रमण से परेशान वन्य जीव आबादी वाले इलाके में जाने लगे, वन्य जीवों का भटकना भी इंसान को नापसंद आया और धीरे-धीरे हालात इतने खराब हो गए कि वन्य जीवों की कुछ जातियाँ तो हमारा शिकार हुई जबकि कुछ प्राकृतिक आवास पर अतिक्रमण की वजह से लुप्त हो गई, तो कई पारिस्थितिकी तंत्र में आए बदलाव की वजह से विलुप्त हो गई, तो कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं।

परिचय

- अनानास या मीट में हल्के विस्फोटक पैक करके जानवरों को खेतों में आने से रोकना केरल के स्थानीय इलाकों में काफी प्रचलित है। इसे मलयालम में 'पन्नी पड़कम' कहा जाता है जिसका मतलब है "पिग क्रैकर"। ये विस्फोटक स्थानीय स्तर पर ही बनाई गई सामग्री या त्योहारों में इस्तेमाल होने वाले पटाखों से तैयार किया जाता है। जानकारों का मानना है कि विस्फोटक और अलग-अलग तरह के जाल का इस्तेमाल सिर्फ केरल में ही नहीं पूरे भारत में किया जाता है।
- गौरतलब है कि इस तरह विस्फोटक का शिकार हुए हाथियों से जुड़ी आखिरी घटना अप्रैल में हुई थी जब 8 या 9 साल का एक हाथी कोल्लम जिले के पुनालुर फॉरेस्ट डिविजन में पठानपुर के पास विस्फोटक के संपर्क में आया था।

बाधित क्षेत्र

- जानकारों का मानना है कि जंगल कम होते जा रहे हैं जिससे वन्यजीवों और इंसानों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में जमीन के इस्तेमाल को लेकर विशेष नीति नहीं है।
- भारत के पास ऐसी नीति नहीं है जिससे तय किया जा सके कि जिनको सामाजिक न्याय की जरूरत है उन्हें सुविधाएं देकर जंगलों से दूर किया जा सके अर्थात उन्हें भी सुरक्षित रहने की जरूरत है और जानवरों को भी। इसे लैंडस्केप प्लानिंग कहते हैं जो कि नहीं हो रही है।
- दरअसल, हाथियों की आवाजाही के लिए बने गलियारे उनकी सुरक्षा करने और आबादी संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं । हाथियों का झुंड इन कारीडोर से होकर ही एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है. इस राह में बनने वाली सड़कें, रेलवे की पटरियों, बिजली के खंभों, नहरों और इंसानी बस्तियों ने हाथियों को अपना प्राकृतिक रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया है। नतीजतन हाथियों की मौत के साथ ही इंसानों के साथ उनके संघर्ष की घटनाएं भी बढ़ी हैं। जलवायु परिवर्तन भी शायद स्थानीय समुदायों और जानवरों पर काफी असर डाल रहा है।
- भारत में करीब 27,000 जंगली एशियाई हाथी हैं जोकि इनकी वैश्विक आबादी का 55 फीसदी है। फिर भी देश में इनके भविष्य की अनिश्चिता बनी हुई है।

हाथी गलियारा का विकास

- हाथियों की बढ़ती समस्या के बाद भारत में अब कोशिश की जा रही है कि दो जंगलों के बीच एक गलियारा विकसित कर उसका संरक्षण किया जा सके। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे हाथियों को जंगलों में ही रोकना संभव होगा और उनके आबादी वाले इलाकों में घुसने की घटनाओं में कमी आएगी।
- देश में हाथियों की आवाजाही के लिए 110 गलियारे हैं। इनमें से 23 पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इनमें से 70 फीसदी का नियमित रूप से इस्तेमाल होता है जबकि बाकी का कभी-कभार। लेकिन इनमें से 29 फीसदी गलियारों पर इंसानों का अतिक्रमण हो गया है। इसके अलावा 66 फीसदी गलियारे ऐसे हैं जिनसे होकर हाइवे गुजरता है। 22 फीसदी गलियारे से रेलवे की पटरियां गुजरती हैं।
- गौरतलब है कि हाथी गलियारा भूमि का एक संकीर्ण भाग होता है जो दो बड़े आवास क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। बहुत से ऐसे गलियारे पहले ही किसी न किसी सरकारी एजेंसी जैसे वन या राजस्व विभाग के नियंत्रण में हैं। गलियारों में बड़ी वाणिज्यिक सम्पदाओं तथा अनाज या कृषि भूमि में अप्रयुक्त स्थानों को शामिल किया जा सकता है।
- दक्षिण भारत (93%) और उत्तरी पश्चिम बंगाल (86%) में अवस्थित लगभग सभी हाथी गलियारों का नियमित रूप से उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार पूर्वोत्तर भारत में अवस्थित 66% गलियारों का भी नियमित रूप से उपयोग किया जाता है।

एशिया और भारत में हाथियों की स्थिति

- एशिया के 13 देशों में हाथी पाए जाते हैं। इसमें भारत भी शामिल है। भारत में हाथी पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा सहित 16 राज्यों में पाए जाते हैं। उत्तर भारत में हाथियों की संख्या ना के बराबर है।
- झारखंड और तमिलनाडु सरकार ने हाथी को राज्य पशु घोषित किया है। देखा जाए तो तमिलनाडु और कर्नाटक में सबसे अधिक हाथी पाए जाते हैं। असम राज्य में हाथियों को सबसे ज्यादा बंधक बनाकर रखा जाता है या पाला जाता है। हालांकि ऐसा करना कानूनन अपराध है, परंतु फिर भी यह प्रक्रिया वर्षों से निर्बाध रूप से चल रही है।

सरकारी प्रयास

- भारतवर्ष में वन्य जीवों को विलुप्त होने से बचाने के लिये पहला कानून 1872 में "वाइल्ड एलीफेंट प्रोटेक्शन एक्ट" बनाया गया। इसके बाद वर्ष 1927 में "भारतीय वन अधिनियम" बनाया गया। जिसमें वन्य जीवों के शिकार और वनों की अवैध कटाई को अपराध माना गया और इसमें सजा का भी प्रावधान रखा गया।
- वहीं आजादी के बाद भारत सरकार ने 'इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ' बनाया। फिर 1956 में एक बार फिर 'भारतीय वन अधिनियम' पारित हुआ, 1972 में "वन्यजीव संरक्षण अधिनियम" पारित हुआ, जिसमें विलुप्त होते वन्य जीवों और दूसरे लुप्त होते प्राणियों के संरक्षण का प्रावधान है।
- हमारे संविधान में 42वें संशोधन (1976) अधिनियम के द्वारा दो नए अनुच्छेद 48 और 51 को जोड़कर वन्य जीवों से सम्बन्धित विषय को सूची में शामिल किया गया। वन्य जीवों की बिगड़ते हालात के सुधार और संरक्षण के लिये "राष्ट्रीय वन्य जीव योजना" 1983 में शुरू की गई। इन अधिनियम और कानूनों के अलावा जरूरत थी ऐसी जगह की, जहाँ वन्यजीव सुरक्षित रहें और इंसानी अतिक्रमण न हो। इसलिये नेशनल पार्क और वन्य प्राणी अभयारण्य बनाए गये।
- भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत वन्यजीवों की हत्या और शिकार के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान है। इस अधिनियम की अनुसूची और अनु. 2 के तहत अवैध शिकार, अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान को क्षति पहुंचाने वाले दोषियों को (इंडियन पैनल कोड की धारा 429 के तहत कार्रवाई) कम से कम 3 साल की सजा दिए जाने का प्रावधान है। आवश्यकता पड़ने पर इस सजा को 7 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। साथ ही इसमें दोषी पर आर्थिक जुर्माना भी किया जा सकता है।
- भारतीय दंड संहिता यानी (IPC) की धारा 429 उन मामलों में लागू होती है, जिनमें वन्यजीवों हाथी, ऊंट, घोड़े और खच्चर आदि की हत्या करना, या उन्हें मारने के मकसद से जहर देना या विकलांग बना देना शामिल है। फिर चाहे उस वन्यजीव की कीमत या महत्ता कितनी भी हो। ऐसे मामलों में कानून ने कड़ी सजा का प्रावधान कर रखा है।
- भारत ने भारतीय हाथी (एशियाई हाथी) को "राष्ट्रीय विरासत पशु" घोषित किया है। यह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के तहत पशु को अधिकतम कानूनी संरक्षण प्रदान करता है।
- भारत में 30 हाथी रिजर्व क्षेत्र बनाए गए हैं। 13 राज्यों में 32 हाथी रेंज बनाए गए हैं। भारत सरकार द्वारा 1982 में भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना एक स्वशासी संगठन के रूप में की गई। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वर्ष 1917 से 1931 तक 15 वर्षीय योजना भी क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष दो हजार ग्यारह से 'हाथी मेरे साथी' योजना भी शुरू हुई है। हाथियों के संरक्षण के लिए एक साइट्स संस्था भी कार्यरत है।
- देश में हाथियों की संख्या में आई कमी को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 1991-92 में हाथी परियोजना शुरू की। इस परियोजना को आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश ओर पश्चिम बंगाल राज्यों में क्रियानवित किया जा रहा है।

आगे की राह

- इस प्रकार के संरक्षण का उद्देश्य जहाँ एक ओर हाथियों को सुरक्षा प्रदान करना है, वहीं दूसरी ओर इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी सुरक्षा प्रदान करना है।
- विशेषज्ञों का कहना है कि एकाध ऐसी घटनाओं से स्थिति में खास सुधार होने की गुंजाइश कम ही है। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकारों को वन्यजीव प्रेमियों और उनके संगठनों के साथ मिल कर एक ठोस योजना तैयार कर उसे अमली जामा पहनाना होगा. इसमें हाथियों के रहने की जगह बढ़ाने और उसके संरक्षण को प्राथमिकता देनी होगी।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

प्र. भारत ने भारतीय हाथी (एशियाई हाथी) को "राष्ट्रीय विरासत पशु" घोषित किया है फिर भी इनकी संख्या मे गिरावट देखी गयी है । देश में हाथियों की संख्या में आई कमी को दृष्टिगत रखते हुए उनके संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की चर्चा करें।

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स

01 भारत बनाम इंडिया : नाम की प्रासंगिकता

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में इंडिया का नाम बदलने के लिए दायर की गयी एक जनहित याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया। इस याचिका में कहा गया था कि देश को उसके मूल और प्रामाणिक नाम, यानी भारत या हिंदुस्तान के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, क्योंकि इंडिया देश की प्राचीन संस्कृतियों से उत्पन्न शब्द नहीं है, यह ग्रीक भाषा का एक नाम है जिसे "इंडिका" शब्द से लिया गया है।

2. पृष्ठभूमि

- यचिकाकर्ता के अनुसार इंडिया शब्द को संविधान सभा की बहस के दौरान हटाने की मांग की गयी थी।
- इस बहस की शुरुआत संविधान सभा के सदस्य एच.वी कामथ ने शुरू की थी। उन्होंने बाबा साहेब द्वारा तैयार किये गए ड्राफ्ट का विरोध किया और कहा कि देश का सिर्फ एक प्राथमिक नाम होना चाहिए। इसे भारत कहा जाना चाहिए या फिर हिन्द, इसके अलावा इंडिया नाम सिर्फ अंग्रेजी भाषा के लिए उच्चारित किया जाना चाहिए।
- इसके अलावा 'भारत' नाम को एम.ए अयंगार, के.वी राव, कमल पति त्रिपाठी और हरगोविंद पन्तु जैसे लोगों ने भी समर्थन दिया था।
- लेकिन जब संविधान सभा में इस पर वोटिंग हुई तो केवल 'भारत' नाम रखने का यह संशोधन प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया और देश का नाम "इंडिया अर्थात भारत" रखा गया।
- इस मुद्दे पर बहस हमेशा से जारी रही है और 2014 में जब योगी आदित्यनाथ, संसद सदस्य थे तो उन्होंने इस मुद्दे पर एक प्राइवेट मेम्बर बिल संसद में रखा था, जिसमें देश का प्राथमिक नाम 'भारत' रखने का प्रस्ताव था।
- शीर्ष अदालत ने 2016 में इस याचिका को खारिज कर दिया और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि प्रत्येक भारतीय को अपने देश को 'इंडिया' या 'भारत' कहने या चुनने का अधिकार है।

3. याचिकाकर्ता का तर्क

- याचिकाकर्ता का कहना है कि भारत शब्द हमारे स्वतंत्रता संग्राम के साथ निकटता से जुड़ा हुआ शब्द है इसलिए यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन की मांग करती है, जिसमें कहा गया है कि "इंडिया अर्थात भारत, राज्यों का संघ होगा ..."।
- अनुच्छेद 1 के अनुसार, भारत के क्षेत्र को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है-
  - राज्यों का क्षेत्र
  - केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र
  - वे क्षेत्र जो किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किए जा सकते हैं।
- अनुच्छेद 1 में संशोधन यह सुनिश्चित करेगा कि इस देश के नागरिकों को अपना औपनिवेशिक अतीत "अंग्रेजी नाम हटाने" के रूप में प्राप्त हो, जो एक राष्ट्रीय भावना पैदा करेगा।
- गाँधी जी ने अंग्रजों के विरूद्ध लड़ाई के दौरान 'भारत माता की जय' का नारा दिया था ना कि 'इंडिया' माता की जय।
- हमारे देश के राष्ट्रगान में भी 'भारत' शब्द आता है ना कि 'इंडिया'।
- भारतीय दंड संहिता में भी 'भारत' शब्द का प्रयोग किया जाता है।
- अंग्रजों के शासन से पूर्व मुगल भी हमारे देश को 'हिंदुस्तान' के नाम से पुकारते थे।
- इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा कि भारत के दो नामों को हटाकर केवल एक नाम रखा जाना चाहिए इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में परिवर्तन करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए।

4. सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

- सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने यह नाम बदलने की याचिका खारिज कर दी और कहा है कि जब देश का नाम पहले ही 'भारत' है तो फिर इस प्रकार की याचिका का कोई निहितार्थ नहीं है, हालाँकि कोर्ट ने सम्बंधित मंत्रालय को इस बारे में गौर करने के लिए भी कहा है।

02 पीएम केयर फण्ड आरटीआई के दायरे में शामिल नहीं

1. चर्चा का कारण

- प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीएम केयर्स को लेकर आरटीआई अधिनियम के तहत दायर एक आवेदन में मांगी गई सूचना को साझा करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एच) के तहत PM CARES FUND 'सार्वजनिक प्राधिकरण (पब्लिक अथॉरिटी)' नहीं है।

2. आरटीआई के तहत 'सार्वजनिक प्राधिकरण' क्या है?

- आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (एच) के अनुसार, "सार्वजनिक प्राधिकरण" का अर्थ किसी भी प्राधिकरण, या निकाय, या संस्था से है, जो:
- संविधान द्वारा या उसके अधीन,
  - संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून से,
  - राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून से,
  - तात्कालिक सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या अध्यादेश से गठित की गई हो।
- सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा में सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के स्वामित्व में नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय भी शामिल हैं, जो सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित हैं।
- पीएम केयर्स फंड को सार्वजनिक प्राधिकरण का दर्जा न देने के लिए यही तर्क दिया गया है कि यह व्यक्तियों और संगठनों के स्वैच्छिक योगदान पर आधारित एक कोष है।

3. पीएम केयर फण्ड

- पीएम केयर फंड 28 मार्च 2020 को, किसी भी तरह की आपातकालीन या संकट की स्थिति जैसे COVID-19 महामारी से निपटने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ बनाया गया था।
- प्रधानमंत्री, पीएम केयर फंड के पदेन अध्यक्ष हैं।
- पीएम केयर्स फण्ड के लिए बने ट्रस्ट के सदस्य देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री हैं। इसके अतिरिक्त विज्ञान, स्वास्थ्य, कानून, सार्वजनिक कार्य जैसे क्षेत्रों की प्रसिद्ध हस्तियों को ट्रस्ट के सदस्य के रूप में नामित किये जाने का प्रावधान है।
- इस कोष में पूरी तरह से व्यक्तियों/संगठनों से स्वैच्छिक योगदान होता है और इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है और इस तरह, यह कैग की जांच से परे है।
- पीएम केयर फंड के लिए योगदान, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) दायित्वों के तहत एक योग्य व्यय होगा।

4. फंड में दान करने के लाभः

- इसमें किए गए दान को कर-मुक्त कर दिया गया है। यह राहत इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80 जी के तहत दी गयी है।
- दान को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 से भी छूट दी गई है
- इसे एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया है।

5. भारतीय संविधान के अनुसार फण्ड (निधि) की व्याख्या

- **संचित निधि:** संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अनुसार सरकार को मिलने वाले सभी राजस्वों, जैसे- सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, सम्पदा शुल्क, अन्य कर एवं शुल्क और सरकार द्वारा दिये गए ऋणों की वसूली से जो धन प्राप्त होता है, वे सभी संचित निधि में जमा किये जाते हैं। संसद की स्वीकृति के पश्चात् सरकार अपने सभी खर्चों का वहन इसी निधि से करती है। इसीलिये इसे भारत की संचित निधि कहा जाता है।
- **आकस्मिक निधि:** संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद को एक निधि स्थापित करने की शक्ति दी गई है। इस निधि को भारत की आकस्मिक निधि कहा जाता है। यह एक ऐसी निधि है, जिसमें संसद द्वारा पारित कानूनों द्वारा समय-समय पर धन जमा किया जाता है। यह निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है तथा देश की आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिये राष्ट्रपति द्वारा इस निधि से सरकार को धन उपलब्ध कराया जाता है।
- **लोक लेखा निधि:** संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अनुसार भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य लोक धनराशियाँ भारत के लोक लेखों में जमा की जाती हैं।

03 कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में किसानों के लिए एक देश, एक बाजार (वन नेशन, वन मार्केट) का मार्ग प्रशस्त करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कृषि उपज के प्रतिबंध रहित व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सहायता) अध्यादेश, 2020 को मंजूरी दी गयी।
- इस अध्यादेश का मूल उद्देश्य APMC बाजार यार्ड के बाहर अतिरिक्त व्यापार के अवसर पैदा करना है, ताकि अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा के कारण किसानों को पारिश्रमिक मूल्य प्राप्त करने में मदद मिल सके। यह देश में व्यापक रूप से विनियमित कृषि बाजारों को खोलने का एक ऐतिहासिक कदम है।

2. अध्यादेश के प्रमुख बिंदु

- इस अध्यादेश द्वारा एक ऐसा कृषि पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जायेगा, जिससे विभिन्न राज्य में 'कृषि उपज बाजार' कानूनों के तहत अधिसूचित वास्तविक बाजार परिसरों के बाहर भी किसानों की उपज का कुशल, पारदर्शी और बाधा रहित अंतर-राज्य और राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा।
- इसके अलावा, अध्यादेश इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और उससे जुड़े हुए मामलों के लिए एक सुविधाजनक ढांचा प्रदान करेगा। इसके लिए व्यापार प्रक्रियाओं से जुड़े उचित नियम भी बनाये जायेंगे। कोई भी व्यक्ति या संगठन यदि ई-व्यापार मंच के प्रावधानों का उल्लंघन करता है जो उस पर न्यूनतम 50, 000 रुपये और अधिकतम 10 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।
- किसान के साथ व्यापार करने वाले व्यापारी को किसान को उसी दिन या अधिकतम तीन कार्यदिवसों के भीतर भुगतान करना होगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले व्यापारी पर न्यूनतम 25,000 रुपये और अधिकतम पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
- इस अधिनियम के तहत किसानों से उनकी उपज की बिक्री के लिए कोई उपकर या शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसानों के लिए एक अलग विवाद समाधान तंत्र भी होगा।

3. अध्यादेश का महत्व

- कृषि उपज संगठनों (एफपीओ) या कृषि सहकारी संस्थाओं को छोड़कर अन्य कोई भी व्यापारी किसी भी सूचीबद्ध कृषि उत्पाद में पैन संख्या या अन्य तय दस्तावेज के बिना व्यापार नहीं कर सकेगा।
- अध्यादेश के लागू हो जाने से किसानों के लिए एक सुगम और मुक्त व्यापार का माहौल तैयार हो सकेगा जिसमें उन्हें अपनी सुविधा के हिसाब से कृषि उत्पाद खरीदने और बेचने की आजादी होगी।
- इसके अलावा अतिरिक्त उपज वाले क्षेत्रों में भी किसानों को उनके उत्पाद के अच्छे दाम मिल सकेंगे और साथ ही दूसरी ओर कम उपज वाले क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को भी ज्यादा कीमतें नहीं चुकानी पड़ेंगी।

4. वर्तमान चुनौतियाँ

- भारत में किसानों को कई तरह के नियामक प्रतिबंधों के कारण अपने उत्पाद बेचने में काफी दिक्कत आती है।
- अधिसूचित कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) बाजार क्षेत्र के बाहर किसानों पर उत्पाद बेचने पर कई तरह के प्रतिबंध हैं।
- उन्हें अपने उत्पाद सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त खरीदारों को ही बेचने की बाध्यता है।
- इसके अतिरिक्त एक राज्य से दूसरे राज्य को ऐसे उत्पादों के सुगम व्यापार के रास्ते में भी कई तरह की बाधाएं हैं।

5. निष्कर्ष

- इस अध्यादेश से देश में आवश्यक कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण की उम्मीद की जा सकती है, जो कृषि क्षेत्र के कई मुद्दों को हल करने हेतु आवश्यक है।
- यह अध्यादेश किसान के लिए विभिन्न विकल्प उत्पन्न करेगा साथ ही किसानों के लिए विपणन लागत कम करेगा और उन्हें बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करेगा। इसे कृषिक्षेत्र में परिवर्तन और किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक दूरदर्शी कदम माना जा सकता है।

04 चीन सीमा से सटे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा का विकास

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में चीन की सीमा के साथ बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने केंद्र प्रायोजित योजना के 10% धनराशि को लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में सीमा परियोजनाओं पर खर्च करने का निर्णय लिया है।

2. प्रमुख दिशा-निर्देश

- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Border Area Development Programme) को 2020-21 वित्तीय वर्ष में 784 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं। यह धनराशि सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी जनसंख्या तथा अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई जैसे विभिन्न मानदंडों के आधार पर वितरित की जायेगी। गौरतलब है कि 2019-20 में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 825 करोड़ रुपये दिये गए थे।
- गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण गांवों और कस्बों को विकसित करने की परियोजनाओं को सीमा सुरक्षा बलों द्वारा चिन्हित किया गया है।
- 3,488 किलोमीटर चीन सीमा के साथ बसे क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए लगभग 78.4 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम फंड से सीमा के 10 किमी के भीतर सड़कों, पुलों, पुलियों, प्राथमिक विद्यालयों, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, खेल के मैदानों, सिंचाई कार्यों, मिनी-स्टेडियमों, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और टेबल टेनिस का निर्माण किया जा सकता है।
- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1980 में भारत की पश्चिमी सीमा को सुदृढ़ करने के लिए हुई थी। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का विस्तार 16 राज्यों और दो संघ शासित प्रदेशों के 111 सीमावर्ती जिलों के 396 ब्लॉकों को कवर करने के लिए हुआ है।
- इसमें कहा गया है कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिए प्रोत्साहन के रूप में 10% धनराशि आरक्षित की जाएगी। शेष 638.2 करोड़ में से, पूर्वोत्तर राज्यों-अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम को मिलेगा।

3. आवश्यकता क्यों

- हाल के बरसों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की फौज के अतिक्रमण की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और चीन की ओर से अतिक्रमण की ये घटनाएं अब छुटपुट न रह कर व्यापक स्तर पर हो रही हैं।
- पूर्वी लद्दाख में तो खासतौर से हालात बड़े नाजुक हैं। जहां पैंगॉन्ग झील (कॉनक्लेव लेक) और गलवान घाटी के इलाके, दोनों तरफ से दावेदारी के कारण खासतौर से चर्चा में हैं। हालांकि, ये भारत और चीन के बीच तनातनी के सिलसिले की नई कड़ी के तौर पर ही देखा जा सकता है क्योंकि, हाल के वर्षों में पूर्वी लद्दाख, दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का मुख्य केंद्र बनकर उभरा है। यहां के डेमचोक, चुमार और त्रिग की पहाड़ियों में पहले भी भारत और चीन के सैनिकों के बीच टकराव हो चुका है।

4. निर्माण की होड़ में लगा चीन

- भारत के साथ सटी सीमा पर, चीन ने बुनियादी ढांचे के निर्माण की अपनी क्षमताओं का अच्छा उपयोग किया है। चीन का दावा है कि चीन और पाकिस्तान की सीमा पर "14 सामरिक रूप से महत्वपूर्ण रेल लाइनें" बनाने की अपनी रणनीतिक परियोजना के तहत भारत अरुणाचल प्रदेश के तवांग में रेल लिंक बनाने की संभावना भी तलाश रहा है।
- कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में भारत की चीन पर बढ़त है- क्योंकि चीन के हवाई क्षेत्र ऊंचाई पर हैं जहां सैन्य आयुधों और ईंधन को कम मात्रा में ही ढोया जा सकता है।

5. सीमा प्रहरी

- सीमा सुरक्षा बल (BSF) बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात हैं; जबकि चीन सीमा पर भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) तैनात हैं। नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल सीमाओं पर प्रहरी देता है, जबकि म्यांमार सीमा पर असम राइफल्स के जवान तैनात हैं।
- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम से सीमावर्ती क्षेत्रों को एकीकृत करने में मदद मिलेगी, साथ ही सीमा से सटे क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित आवागमन के लिए कोई परेशानी नहीं होगी।

6. भारत- चीन सीमा

- भारत और चीन परस्पर 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। दोनों देशों के बीच सीमा निर्धारित करने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है।

05 टिड्डी दल का प्रकोप

1. चर्चा का कारण

- यमन से लेकर अफ्रीकी और एशियाई देशों में टिड्डी दल (locust swarms) ने फसलों पर हमला किया है। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) ने टिड्डी दलों के बिहार, ओडिशा तक पहुंचने की संभावना व्यक्त करने के साथ ही मानसूनी हवाओं के साथ जुलाई में दोबारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान लौटने की चेतावनी दी है।

2. प्रमुख बिन्दु

- वर्तमान में इथोपिया और सोमालिया जैसे देशों यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पिछले 25 सालों में टिड्डी दलों का सबसे भयानक हमला जारी है। भारत में, साधारणतया ये टिड्डी दल जुलाई से अक्टूबर के बीच दिखते हैं, साथ ही अच्छी बारिश और परिस्थितियाँ अनुकूल होने की स्थिति में ये तेजी से प्रजनन करती हैं।

3. टिड्डी दल

- दुनियाभर में टिड्डियों की 10 हजार से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन भारत में केवल चार प्रजाति ही मिलती हैं। इसमें रेगिस्तानी टिड्डा, प्रव्राजक टिड्डा, बंबई टिड्डा और पेड़ वाला टिड्डा शामिल हैं। इनमें रेगिस्तानी टिड्डों को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है।
- टिड्डियों के भारी संख्या में पनपने का मुख्य कारण वैश्विक तापवृद्धि के चलते मौसम में आ रहा बदलाव है। विशेषज्ञों ने बताया कि एक मादा टिड्डी तीन बार तक अंडे दे सकती है और एक बार में 95-158 अंडे तक दे सकती हैं। टिड्डियों के एक वर्ग मीटर में एक हजार अंडे हो सकते हैं। इनका जीवनकाल तीन से पांच महीनों का होता है। नर टिड्डे का आकार 60-75 एमएम और मादा का 70-90 एमएम तक हो सकता है।
- संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार रेगिस्तानी टिड्डों की रफ्तार 16-19 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। हवा की वजह से इनकी रफ्तार में बढ़ोत्तरी भी हो जाती है। इस तरह ये एक दिन में 200 किमी का सफर तय कर सकती हैं। एक वर्ग किलोमीटर में फैले दल में करीब चार करोड़ टिड्डियां होती हैं, जो एक दिन में 35,000 लोगों के पेट भरने लायक भोजन को चट कर जाती है।

4. जलवायु परिवर्तन और टिड्डियों के बीच संबंध

- टिड्डियों को लेकर जारी हुई नई रिपोर्टों में कहा गया है कि इनकी तादाद और हमले बढ़ने के पीछे की एक मुख्य वजह बेमौसम बारिश भी होती है। पिछले एक साल के दौरान, भारत और पाकिस्तान समेत पूरे अरब प्रायद्वीप में बेमौसम बारिश होती रही है।
- इस कारण नमी की वजह से ये तेजी से फैलती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, पहले प्रजनन काल में टिड्डियां 20 गुना, दूसरे में 400 और तीसरे में 1,600 गुना तक बढ़ जाती हैं।

5. टिड्डियों से निपटने के उपाय

- विशेषज्ञों के अनुसार टिड्डी के हमलों से बचने का सबसे बेहतर तरीका नियंत्रण और निगरानी है। इसके अलावा कीटनाशक का हवाई छिड़काव किया जा सकता है, लेकिन भारत में इस सुविधा का अभाव है। इसी प्रकार टिड्डियों के अंडों को पनपने से पहले नष्ट किया जा सकता है।
- फसलों पर क्लोरपाइरीफॉ (Chlorpyri Fos) रसायन का छिड़काव किया जाना चाहिये क्योंकि यह विषाक्त रसायन नहीं है। वैज्ञानिकों ने अंडों को नष्ट करने के लिए खेतों में पानी भरकर रखने की सलाह दी है।

06 विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में फिलीपीन्स के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे ने अमेरिका के साथ दो दशक पुराने विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट (Visiting Forces Agreement & VFA) को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। गौरतलब है कि 2016 में सत्ता में आने के बाद से रोड्रिगो डुटर्टे का झुकाव चीन की तरफ ज्यादा था, जिस कारण अमेरिका से फिलीपीन्स की तल्खियां भी बढ़ी थीं ।

2. उद्देश्य

- फिलीपीन्स को अमेरिका के साथ गठबंधन करने का उद्देश्य अपने देश के हितों की रक्षा और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना है क्योंकि, फिलीपीन्स यह जानता है कि सैन्य और आर्थिक शक्ति के मामले में वह चीन के सामने कुछ नहीं है।
- मनीला और वाशिंगटन के राजनयिकों ने विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट (VFA) को फिर से लागू करने में बड़ी भूमिका निभाई है।
- फिलीपीन्स के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका ने मनीला के पास स्थित अपने सैन्य बेस को वियतनाम में शिफ्ट करने का ऐलान कर दिया था लेकिन कोरोना वायरस के कारण बदली परिस्थितियां, देश में चीन का व्यापक विरोध और बिगड़ती अर्थव्यवस्था ने रोड्रिगो डुटर्टे को अपने कदम पीछे खींचने को मजबूर कर दिया जिसके बाद से उन्होंने अमेरिका के साथ सैन्य बेस को बनाए रखने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए।

3. विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट क्या है?

- विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट (Visiting Forces Agreement) फिलीपींस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संधि है जिसमें अमेरिकी सैन्य और नागरिक कर्मियों के लिए दिशानिर्देश और शर्तें शामिल हैं जिन्हें अस्थायी रूप से फिलीपींस भेजा जाता है।
- सामान्य शब्दों में कहें तो अमेरिकी सरकार फिलीपींस में तैनात अपने सैन्यकर्मियों के ऊपर न्यायाधिकार रखेगी और कुछ ही मामलों में उन पर स्थानीय न्यायालयों में मुकदमा चल सकता है साथ ही इस समझौते के अनुसार, अमेरिकी सैन्यकर्मियों पर फिलीपीन्स के वीजा और पासपोर्ट नियम नहीं चलेंगे। विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि अमेरिका की सेना फिलीपींस में आई तो उसका वैधानिक दर्जा क्या होगा और इसके लिए नियम और मार्गनिर्देश कौन-से होंगे।
- यह समझौता 1951 में हस्ताक्षरित आपसी रक्षा संधि (Mutual Defense Treaty) के तहत दोनों देशों के दायित्वों का पुष्टिकरण था। एमडीटी (MDT) संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार सशस्त्र हमले की स्थिति में एक दूसरे की रक्षा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है ।

4. एग्रीमेंट क्यों बढ़ाया गया

- विशेषज्ञों ने फिलीपीन्स के इस यूटर्न को साउथ चाइना सी में चीन के बढ़ते प्रभाव से जोड़ा है। बता दें कि साउथ चाइना सी से दुनिया का 30 फीसदी व्यापार होता है।
- चीन पूरे साउथ चाइना सी पर ही अपना दावा करता है जबकि उसके दावे को वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और ताइवान नकारते रहे हैं। चीन ने पिछले एक दशक में कई कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर अपनी विस्तारवादी रणनीति को खुलेआम दर्शाया है।
- गौरतलब है कि चीन के दक्षिण साउथ चाइना सी में दावों के खिलाफ मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया ने संयुक्त राष्ट्र में कई राजनयिक नोट भी दाखिल किए हैं। इतना ही नही चीन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने सैन्य जहाजों के जरिए बाकी देशों के परिवहन और मछली पकड़ने वाली नौकाओं के खिलाफ कार्रवाई की है।

5. फिलीपींस के लिए निहितार्थ

- फिलीपींस की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अमेरिकी गठबंधन और वीएफए महत्वपूर्ण हैं। फिलीपींस में चीन के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है, साथ ही फिलीपींस की जनता अमेरिका पर अत्यधिक विश्वास करती है, वहीं दूसरी ओर दक्षिणी चीन सागर में चीन की गतिविधियों से फिलीपींस के लोग आशंकित रहते हैं। इसलिए अमेरिका और फिलीपींस का सैन्य गठजोड़ तथा विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट चीनी खतरों के विरुद्ध एक बीमा के जैसा काम करेगा।

07 वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट

1. चर्चा का कारण

- विश्व बैंक (World Bank) के ताजा अनुमान के अनुसार इस वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था के बढ़ने के बजाय 5.2 प्रतिशत तक सिकुड़ने की आशंका है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब तक की सबसे गहरी आर्थिक मन्दी होगी।

2. प्रमुख बिन्दु

- वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट (Global Economic Prospects) में दुनिया के सभी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आने की भी बात कही गई है जिससे लाखों की संख्या में लोग निर्धनता का शिकार होंगे ।
- कोरोनावायरस की चपेट में आने से विकसित देशों में घरेलू माँग, आपूर्ति, व्यापार और वित्तीय व्यवस्था पर बुरा असर हुआ है जिससे वर्ष 2020 में आर्थिक गतिविधियाँ सात फीसदी तक सिकुड़ने का अनुमान जताया गया है।
- वहीं उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (Emerging Market and Developing Economies/EMDA) के लिए यह आँकड़ा 2.5 फीसदी है। ये देश एक समूह के तौर पर पिछले 60 सालों में पहली बार अर्थव्यवस्था में सिकुड़न का सामना करेंगे।
- दक्षिण एशिया क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियाँ 2.7 फीसदी तक सिकुड़ सकती हैं क्योंकि महामारी के मद्देनजर ऐहतियात बरतने के सख्त उपायों से खपत और सेवा क्षेत्र पर असर पड़ा है।

3. दीर्घकालीन दुष्प्रभाव की आशंका

- हालात उन देशों में सबसे ज्यादा खराब होने की आशंका है जो कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं और जहाँ वैश्विक व्यापार, पर्यटन, वस्तुओं के निर्यात और बाहरी वित्तीय संसाधनों पर निर्भरता ज्यादा है।
- कोविड-19 के दौरान पढ़ाई-लिखाई और प्राथमिक स्वास्थ्य में महीनों तक चले व्यवधानों के कारण मानव संसाधन विकास पर भी दीर्घकालीन असर होने की आशंका जताई गई है।
- रिपोर्ट के मुताबिक पाबन्दियाँ साल 2020 की दूसरी छमाही में हटाने से वर्ष 2021 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि में उछाल आने और उसके 4.2 फीसदी तक बढ़ने की सम्भावना है।
- लेकिन महामारी के लम्बा खिंचने और व्यापार, वित्तीय बाजारों व सप्लाई चेन में उथल-पुथल से संकट और गहरा हो जाएगा. इससे अर्थव्यवस्था के 8 फीसदी तक सिकुड़ने का खतरा है और वर्ष 2021 में भी आर्थिक वृद्धि की दर 1 फीसदी के आस-पास रहने का ही अनुमान है।
- अध्ययन के मुताबिक कोविड-19 महामारी से उपजे हालात तत्काल स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्रों में नीतिगत कार्रवाई की अहमियत को रेखांकित करती है।

4. समाधान

- कोविड-19 वैश्वीकरण के मूल आधार को प्रभावित कर रहा है। इसके लिए वैश्विक सहयोग बेहद अहम है ताकि महामारी के दुष्प्रभावों के दंश को कम किया जा सके, निर्बल जनसमूहों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके और भविष्य में इसी तरह की चुनौतियों की रोकथाम और उनसे निपटने की क्षमता का निर्माण सम्भव हो सके।
- इसके साथ-साथ उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना होगा, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से पैदा होने वाली समस्याओं को दूर करना होगा, सामाजिक सुरक्षा के सीमित दायरे को बढ़ाना होगा और संकट के गुजरने के बाद मजबूत व टिकाऊ आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सुधार लागू करने होंगे।
- वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे पहला काम वैश्विक स्वास्थ्य और आर्थिक एमरजेंसी से निपटना है। उसके इतर, वैश्विक समुदाय को एक साथ आकर पुनर्निर्माण के रास्तों की तलाश करनी होगी ताकि बेहतर पुनर्बहाली से लोगों को गरीबी में धँसने और बेरोजगारी से बचाया जा सके।

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

01 भारत बनाम इंडिया : नाम की प्रासंगिकता

प्र. भारत का नाम बदलने को लेकर दायर याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. 'इंडिया' शब्द की उत्पत्ति 'हिब्रू' भाषा से हुई है जिसे 'अर्थशास्त्र' से लिया गया है।
2. 'भारत' नाम को एम.ए. आयंगर, के.वी. राव, कमलापति त्रिपाठी और हरगोविंद पंत जैसे लोगों ने भी समर्थन किया था।
3. इंडिया तथा भारत शब्दों का एक साथ प्रयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद-1 में किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में 'इंडिया' का नाम बदलने के लिए दायर याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। उल्लेखनीय है कि इंडिया शब्द की उत्पत्ति 'हिब्रू' भाषा से न होकर ग्रीक भाषा से हुई है अत: कथन (1) गलत है। इस संदर्भ में कथन (2) और कथन (3) सही हैं।

02 पीएम केयर फण्ड

प्र. पीएम केयर फण्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. पीएम केयर फण्ड का गठन 28 मार्च, 2020 को किया गया था।
2. पीएम केयर फण्ड के अध्यक्ष रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं।
3. इस कोष को कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है इस तरह यह कैग की जाँच से परे होता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन गलत है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3

(c) 1, 2 और 3 (d) केवल 2

उत्तर: (d)

व्याख्या: पीएम केयर फंड 28 मार्च, 2020 को किसी भी तरह की आपातकालीन या संकट की स्थिति जैसे COVID-19 महामारी से निपटने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ बनाया गया था। पीएम केयर फंड के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं न कि RBI के गवर्नर, अत: कथन 2 गलत है। इस संदर्भ में शेष दोनों कथन सही हैं।

03 कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य

प्र. कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश, 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस अध्यादेश का मूल उद्देश्य APMC बाजार यार्ड के बाहर अतिरिक्त व्यापार के अवसर पैदा करना है।
2. अध्यादेश इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और उससे जुड़े हुए मामलों के लिए एक सुविधाजनक ढाँचा प्रदान करेगा।
3. किसान के साथ व्यापार करने वाले व्यापारी को अधिकतम 10 कार्यदिवसों के भीतर भुगतान करना होगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3

(c) 1, 2 और 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (a)

व्याख्या: हाल ही में किसानों के लिए एक देश एक बाजार (One Nation One Market) को साकार करने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सहायता अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है। इस अध्यादेश के अनुसार किसान के साथ व्यापार करने वाले व्यापारी को अधिकतम तीन कार्यदिवसों में (न कि 10 कार्य दिवसों में) भुगतान करना होगा। अत: कथन (3) गलत है। इस संदर्भ में शेष दोनों कथन सही हैं।

04 चीन सीमा से सटे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा का विकास

प्र. निम्नलिखित कथनों में गलत कथन का चयन करें-

(a) भारत-चीन परस्पर 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं।

(b) दोनों देशों के बीच सीमा निर्धारित करने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं।

(c) सीमा सुरक्षा बल (BSF) बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात हैं, जबकि चीन सीमा पर भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) तैनात हैं।

(d) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरूआत वर्ष 2000 में की गई थी।

उत्तरः (d)

व्याख्याः हाल ही में चीन सीमा के साथ बुनियादी ढ़ाँचे को सुदृढ़ करने के लिए, गृह मंत्रालय (MHA) ने केन्द्र प्रायोजित योजना के 10% धनराशि को लद्दाख अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड और सिक्किम में सीमा परियोजनाओं पर खर्च करने का निर्णय लिया है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरूआत वर्ष 1980 में की गई थी न कि वर्ष 2000 में अतः कथन (4) गलत है। इस संदर्भ में शेष कथन सही हैं।

05 टिड्डी दल का प्रकोप

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. दुनियाभर में टिड्डियों की 10 हजार से ज्यादा प्रजातियाँ पायी जाती हैं।
2. भारत में टिड्डियों की लगभग 20 प्रजातियाँ पायी जाती हैं।
3. संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार रेगिस्तानी टिड्डों की रफ्तार 16-19 किलोमीटर प्रति घण्टे होती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में संयुक्त राष्ट्र (UN) ने टिड्डी दलों के बिहार, और उड़ीसा तक पहुँचने की संभावना व्यक्त की है। साथ ही मानसूनी हवाओं के साथ जुलाई में दोबारा उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान लौटने की चेतावनी दी है। भारत में टिड्डियों की 4 प्रजातियाँ पायी जाती है न कि 20 अतः कथन (2) गलत है। इस संदर्भ में शेष कथन सही है।

06 विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट

प्र. विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए-

1. विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट फिलीपींस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संधि है।
2. इस समझौते के अनुसार अमेरिकी सैन्य कर्मियों पर फिलिपींस के वीजा और पासपोर्ट नियम नहीं चलेंगे।
3. यह समझौता 1951 में हस्ताक्षरित आपसी रक्षा संधि (Mutual. Defence Treaty) के तहत दोनों देशों के दायित्वों का पुष्टिकरण था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1, 2 और 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में फिलीपीन्स के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे ने अमेरिका के साथ दो दशक पुराने विजिटिंग फोर्सेज (Visiting Forces Agreement-VFA) को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इस संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं।

07 वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट

प्र. वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. विश्व बैंक (WB) के ताजा अनुमान के अनुसार इस वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था के बढ़ने के बजाय 5.2 प्रतिशत सिकुड़ने की आशंका है।
2. उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह आँकड़ा 2.5 फीसदी रहने का अनुमान है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था 5.2 प्रतिशत सिकुड़ेगी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब-तक की सबसे गहरी आर्थिक मंदी होगी। इस संदर्भ में उपर्युक्त दोनों कथन सही हैं।

7 महत्वपूर्ण खबरें

01 नासा का गेटवे लूनर ऑर्बिटींग आउटपोस्ट

- हाल ही में नासा ने 'गेटवे लूनर आर्बिटींग आउटपोस्ट' (Gateway Lunar Orbiting Outpost) के संदर्भ में एक संविदा को अंतिम रूप दे दिया है। यह संविदा 187 मिलियन डॉलर की है। ध्यातव्य है कि यह संविदा वर्जिनिया के आर्बिटल साइंस कार्पोरेशन ऑफ डलास (Orbital Science Corporation of Dulles) को दी गई है। नासा ने गेटवे को चंद्रमा की कक्षा और चंद्रमा की सतह पर, अन्वेषण के लिए नए युग की कुंजी बताया है। इस गेटवे की विशेषताओं में सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि इसे और अधिक शोध करने के लिए चन्द्रमा की कक्षा के आस-पास मौजूद अन्य कक्षाओं में ले जाया जा सकता है। इस गेटवे का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय और वाणिज्यिक भागीदारों द्वारा किया जा रहा है यह चन्द्रमा के साथ-साथ आने वाले समय में मंगल पर होने वाले अन्वेषण में भी सहायता करेगा।

गेटवे लूनर ऑर्बिटींग आउटपोस्ट क्या है

- गेटवे एक छोटा अंतरिक्ष यान है जो चन्द्रमा की परिक्रमा करेगा, जिसमें अंतरिक्ष यात्री कुछ समय के लिए रूक सकते है। यह पृथ्वी से लगभग 250,000 मील की दूरी पर स्थित है। इस अंतरिक्ष यान में विज्ञान और अनुसंधान के लिए प्रयोगशालाएँ, रहने योग्य क्वार्टर तथा डॉकिंग पोर्ट्स हैं। इसके अलावा, अंतरिक्ष यात्री प्रति वर्ष कम से कम एक बार गेटवे का उपयोग करेंगे और वहां लगातार वर्ष भर नहीं रहेंगे जैसा कि अन्तर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर होता है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की तुलना में बहुत छोटा है, कोई अंतरिक्ष यात्री गेटवे में तीन माह तक रूककर वैज्ञानिक प्रयोग कर सकता है।
- नासा के अनुसार यह गेटवे एअरफोर्स की तरह कार्य करेगा। जहाँ चन्द्रमा की सतह या मंगलग्रह की ओर जाने वाले अंतरिक्ष यान ईंधन भर सकेंगे, कल-पुर्जो की मरम्मत कर सकेंगे ऑक्सीजन एवं भोजन की आपूर्ति कर सकेंगे।
- वस्तुतः नासा इसका उपयोग एक ऐसे वैज्ञानिक प्लेटफार्म के उपयोग करना चाहता है जहाँ से पृथ्वी और सूर्य सहित अंतरिक्ष का बाधा रहित अवलोकन किया जा सकता हैं।
- नासा ने 2026 तक इस गेटवे को स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।

02 असम गैस रिसाव

- हाल ही में असम के तिनसुकिया जिले में 'ऑयल इंडिया' लिमिटेड के बागजॉन (Baghjan) तेल कुएं में हो रहे गैस रिसाव पर सिगांपुर की एक फर्म के माध्यम से काबू पा लिया गया है। इस दुर्घटना के बाद उस क्षेत्र के आस-पास के लगभग 1.5 किमी. क्षेत्र में बसे लोगों को तो निकाल लिया गया। लेकिन इस दुर्घटना में मछलियों की अनेक प्रजातियों के साथ-साथ कई लुप्तप्राय डॉल्फिन की मृत्यु हो गई।

असम गैस रिसाव का कारण

- पहले इस कुएं से प्रतिदिन लगभग 2,700 पाउंड प्रतिवर्ग इंच दाब के साथ 80,000 मानक घनमीटर प्रतिदिन गैस का उत्पादन किया जाता था। लेकिन वर्तमान में इस कुएं में गैस रिसाव का दर 4,200 पाउंड प्रतिवर्ग इंच (PSI) दाब के साथ 90,000 मानक घनमीटर (SCMD) गैस का उत्पादन किया जाता है। जो कि काफी ज्यादा है तथा खतरनाक भी है। इसके अलावा दुर्घटना के अन्य संभावित कारणों में निरीक्षण की कमी, खराब रखरखाव, तकनीकी कारण आदि को शामिल किया जा सकता है।

प्रभाव

- असम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के अनुसार रिसावरत गैस में प्रोपेन, मिथेन, प्रोपलीन तथा अन्य गैसों का मिश्रण है जो

हवा में तैर रहा है। इसका दायरा 5 किमी. का है। यह गैस ज्यादातर, बॉस, चाय के बागानों, केले के पेड़ों और सुपारी के पेड़ों पर गिर रहा है।

- बागजान क्षेत्र से लगभग 3000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। इसके अलावा स्थानीय लोगों के आँखों में जलन, सिरदर्द आदि जैसे लक्षणों की शिकायत मिली है।
- ज्ञातव्य है कि असम में अनेक राष्ट्रीय पार्क के साथ-साथ मगुरी-मोटापुंग वेटलैंड (जो एक महत्त्वपूर्ण पक्षी आवास/क्षेत्र के रूप में अधिसूचित है।) लगभग 900 मीटर की हवाई दूरी पर डिबु-सैखोका राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पतियों तथा अन्य जीवों की कुछ दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती है। गैस रिसाव से प्रदूषण का खतरा इन सभी क्षेत्रों पर भी मंडरा रहा है।

असम का तेल उत्पादन क्षेत्र

- बागजान कुँआ एक विशुद्ध रूप से गैस उत्पादक कुँआ है, जो तिनसुकिया जिले में स्थित है। इस कुएं में गैस उत्पादन का कार्य वर्ष 2006 में ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) द्वारा किया गया था। वर्ष 1956 में असम में डिगबोई एक मात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था। वर्तमान समय में नाहरकटिया एविं मोरान असम के महत्त्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत के अन्य पेट्रोलियम भण्डारक राज्यों में तमिलनाडु का पूर्वी तट, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र हैं।

03 विदेशी मुद्रा भंडार

- 5 जून, 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8.2 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 501.70 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 500 अरब डॉलर के पार पहुंचा है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत 5वें स्थान पर है, इस सूची में चीन पहले स्थान पर है।

5 जून, 2020 को विदेशी मुद्रा भंडार

- विदेशी मुद्रा संपत्ति (एफसीए): $463.63 बिलियन
- गोल्ड रिजर्व: $32.352 बिलियन
- आईएमएफ के साथ एसडीआर: $1.44 बिलियन
- आईएमएफ के साथ रिजर्व की स्थिति: $ 4.28 बिलियन

विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल मद

- किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित 4 मद शामिल होते हैं-
    - विदेशी परिसंपत्तियाँ (विदेशी कंपनियों के शेयर, डिबेंचर, बॉण्ड इत्यादि विदेशी मुद्रा में)
    - स्वर्ण भंडार
    - IMF के पास रिजर्व कोष
    - विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights - SDR)

विदेशी मुद्रा भंडार क्या है?

- किसी देश के पास उपलब्ध कुल विदेशी मुद्रा उसकी विदेशी मुद्रा संपत्ति/भंडार कहलाती है। इसे फोरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है। भुगतान संतुलन में विदेशी मुद्रा भंडारों को आरक्षित परिसंपत्तियाँ' कहा जाता है तथा ये पूंजी खाते में होते हैं। ये किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति का एक महत्त्वपूर्ण भाग हैं।

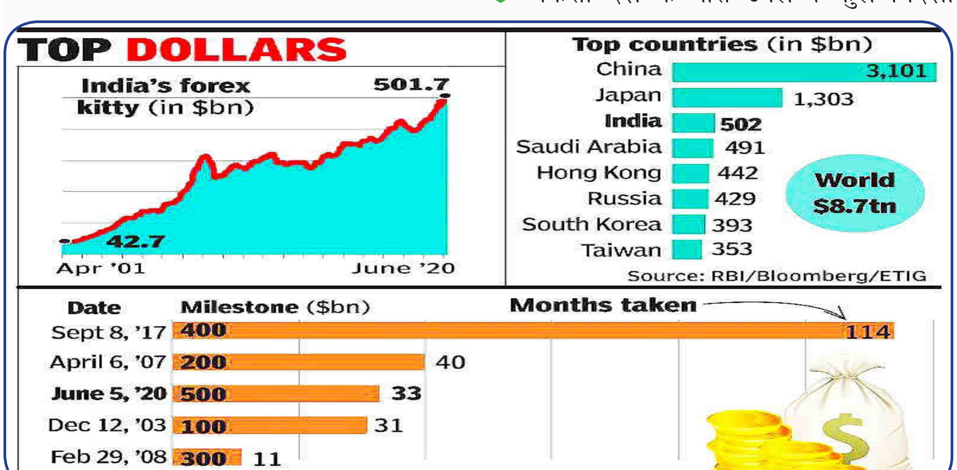

विशेष आहरण अधिकार क्या

- विशेष आहरण अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund - IMF) द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के लिये अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था।
- SDR न तो एक मुद्रा है और न ही IMF पर इसका दावा किया जा सकता है।
- SDR का मूल्य, बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल मुद्राओं के औसत भार के आधार पर किया जाता है। इस बास्केट में पाँच देशों की मुद्राएँ शामिल हैं- अमेरिकी डॉलर (Dollar), यूरोप का यूरो (Euro), चीन की मुद्रा रॅन्मिन्बी (Renminbi), जापानी येन (Yen), ब्रिटेन का पाउंड (Pound)।

04 प्रकृति सूचकांक–2020

- हाल ही में "रिसर्च पत्रिका" द्वारा नेचर इंडेक्स टेबल, 2020 जारी की गई है, जिसमें भारत को विज्ञान अनुसंधान उत्पादन में विश्व स्तर पर 12वें स्थान पर रखा गया है। इस सूची में शीर्ष 5 स्थानों पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जर्मनी, यूनाईटेड किंगडम और जापान हैं। उल्लेखनीय है कि इस वार्षिक सूची में उन संस्थानों और देशों पर प्रकाश डाला जाता है, जो वर्ष 2019 में नेचुरल इंडेक्स द्वारा ट्रैक किए गए नेचुरल साइंस में उच्चगुणवत्ता के अनुसंधान पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। 2020 टेबल 1 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक के नेचर इंडेक्स डेटा पर आधारित हैं।

नेचर इंडेक्स

- 'नेचर इंडेक्स', 82 उच्च गुणवत्ता वाली विज्ञान पत्रिकाओं में प्रकाशित शोधलेखों के आधार पर तैयार किया जाने वाला डेटाबेस है।
- ये डेटाबेस 'नेचर रिसर्च' (Nature Research) द्वारा संकलित किया गया है।
- 'नेचर रिसर्च' अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रकाशन कंपनी 'स्प्रिंगर नेचर' (Springer Nature) का एक प्रभाग है। जो पहली बार 1869 में प्रकाशित हुई थी।

Institution	Count	Share
1. Council of Scientific and Industrial Research (CSIR)	168	95.95
2. Indian Institute of Science (IISc)	209	81.28
3. Tata Institute of Fundamental Research (TIFR)	214	63.38
4. Homi Bhabha National Institute (HBNI)	196	57.17
5. Indian Institute of Technology Bombay (IIT Bombay)	113	50.37
6. Indian Association for the Cultivation of Science (IACS)	78	45.01
7. Indian Institute of Science Education and Research Kolkata (IISER Kolkata)	66	43.35
8. Indian Institute of Technology Guwahati (IIT Guwahati)	68	37.45
9. Indian Institute of Technology Madras (IIT Madras)	145	34.31
10. Indian Institute of Technology Kanpur (IIT Kanpur)	57	29.95

- 'नेचर इंडेक्स' में विभिन्न संस्थाओं की वैश्विक, क्षेत्रीय तथा देशों के अनुसार रैंकिंग जारी की जाती है।
- **'नेचर इंडेक्स' के आधार:** नेचर इंडेक्स तैयार करते समय निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है:
  - किसी संस्थान द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य;
  - संस्थान का विश्व स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान;
  - संस्थान का उच्च गुणवत्ता के अनुसंधान में एक-दूसरे के साथ सहयोग तथा समय के साथ किया जाने वाला बदलाव;

नेचर इंडेक्स और भारत

- इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस (आईएसीएस), कोलकाता 7 वें स्थान पर, जवाहर लाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च (जेएनसीएएसआर), बंगलुरु 14 वें स्थान पर एवं एस एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता 30वें स्थान पर हैं।
- सीएसआईआर, जो संस्थानों का एक क्लस्टर है, को बाहर रखते हुए इस सूची में आईएसीएस भारत में गुणवत्तापूर्ण रसायन शास्त्र अनुसंधान में शीर्ष तीन संस्थानों में शामिल है। जेएनसीएएसआर लाइफ साइंसेज में शैक्षणिक संस्थानों में चौथे स्थान पर है, रसायन शास्त्र एवं भौतिक विज्ञानों में 10 वें स्थान पर है, भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में 10 वें स्थान पर है तथा वैश्विक रैंकिंग में 469वें स्थान पर है।
- इस सूची में वैश्विक रूप से शीर्ष आंके गए भारतीय संस्थानों में 39 संस्थानों का एक समूह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) 160वें स्थान पर है और भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) बंगलुरु 184वें स्थान पर है।

05 बाल श्रम निषेध दिवस 2020

- कोविड-19 महामारी के कारण, इस वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस आभासी अभियान (virtual campaign) के माध्यम से मनाया जा रहा है जो कि ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर (Global March Against Child Labour) और इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर कोऑपरेशन इन चाइल्ड लेबर इन एग्रीकल्चर (The International Partnership for Cooperation on Child Labour in Agriculture, IPCCLA) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया।
- विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा शुरू किया गया था। यह दिन एक अवसर प्रदान करता है और बच्चों को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए और दुनिया भर में बाल श्रम के खिलाफ लड़ने के लिए और ऐसा उनके अनुरूप वातावरण उत्पन्न करने की आवश्यकता का आग्रह करता है।

बाल श्रम से सम्बंधित कुछ आंकड़े

- संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में कुल -152 मिलियन बच्चे बाल मजदूरी करते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक- दुनिया भर में बाल श्रम में शामिल 152 मिलियन बच्चों में से 73 मिलियन बच्चे खतरनाक काम करते हैं।
- इन खतरनाक कामों में मैनुअल सफाई, निर्माण, कृषि, खदानों, कारखानों और फेरी वाला व घरेलू सहायक जैसे काम शामिल हैं।

- बीते कुछ सालों में खतरनाक कामों में शुमार 5 से 11 वर्ष की उम्र के बच्चों की संख्या बढ़कर 19 मिलियन हो गई है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में करीब 43 लाख से अधिक बच्चे बाल मजदूरी करते हुए पाए गए।
- UNISEF के अनुसार दुनिया भर के कुल बाल मजदूरों में 12 प्रतिशत की हिस्सेदारी अकेले भारत की है।
- गैरसरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में करीब 5 करोड़ बाल मजदूर हैं।
- गरीबी बाल श्रम का एक मुख्य कारण है, जिसके कारण बच्चे अपने स्कूल को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं और अपनी आजीविका के लिए अपने माता-पिता का समर्थन करने के लिए न्यूनतम नौकरियों का विकल्प चुनते हैं। इसके अलावा, कुछ संगठित अपराध रैकेट द्वारा बाल श्रम करने पर मजबूर किया जाता है।
- यह दिवस न केवल बच्चों के विकास और संवर्धन के लिए आवश्यक उपयुक्त वातावरण पर ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि बाल श्रम के खिलाफ अभियान में भाग लेने के लिए सरकारों, नागरिक समाज, स्कूलों, युवाओं, महिलाओं के समूहों और मीडिया से समर्थन प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करता है।

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2020 का थीम

- इस साल बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की थीम "Protect children from child labour, now more than ever" है। अर्थात "बच्चों को कोविड-19 महामारी (Protect Children in COVID -19 Times) के दौरान बचाना है।" कोविड-19 महामारी के फैलने के कारण कई देशों में लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई। इससे लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई और इस वजह से कई बच्चों की जिंदगी भी प्रभावित हुई है। ऐसी स्थिति में बहुत से बच्चों को बाल श्रम की ओर धकेला जा सकता है।

06 भारत का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म

- 15 जून 2020 को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज द्वारा पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इस प्लेटफार्म का उद्घाटन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया।

मुख्य बिंदु

- इंडियन गैस एक्सचेंज, ऑनलाइन गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की सहायक कंपनी के रूप में कार्य करेगा। यह प्राकृतिक गैस की भौतिक डिलीवरी के लिए पहला ऑनलाइन गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा। इस प्लेटफॉर्म में प्राकृतिक गैस का व्यापार रुपये में किया जायेगा। न्यूनतम आवंटन का आकार 100 मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (MBTU) है।

भारतीय ऊर्जा विनिमय

- भारतीय ऊर्जा विनिमय केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनियमित एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। इसने 2008 में अपना परिचालन शुरू किया। IEX का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत में पावर ट्रेडिंग का विकास भारतीय ऊर्जा विनिमय द्वारा किया गया था। इसमें बिजली व्यापारी, राज्य बिजली बोर्ड, बिजली उत्पादक और खुले उपभोक्ता शामिल हैं।

आईजीएक्स से लाभ

- इससे पारदर्शी मांग-आपूर्ति मिलान के जरिये गैस के स्थानीय बाजार मूल्य की खोज करने में मदद मिलेगी। आईजीएक्स देश का पहला ऑटोमेटेड राष्ट्रीय स्तर का कारोबारी मंच है जिसके जरिये एक दक्ष गैस बाजार को आगे बढ़ाने और देश में गैस के व्यापार में मदद मिलेगी। इस मंच में बड़ी संख्या में क्रेता-विक्रेता प्राधिकृत केंद्रों में हाजिर और वायदा अनुबंध में कारोबार करेंगे। आईजीएक्स पर हुए अनुबंधों की अनिवार्य डिलिवरी जरूरी होगी। सौदे के निपटान के लिए शर्त यह है कि इस तरह के अनुबंधों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा। एक और प्रमुख उद्देश्य बाजार की समग्रता को बचाना है। शुरुआत में इसका व्यापार गुजरात के दाहेज, हजीरा और आंध्र प्रदेश के ओडुरु-काकीनाड़ा के भौतिक केंद्रों (फिजिकल हब) में होगा। कीमत की खोज के लिए एक्सचेंज क्रेता-विक्रेताओं से समयसीमा में बोलियां मंगाएगा, जिस पर मूल्य खोज तंत्र काम करेगा।

07 राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) – 2020

- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विभिन्न श्रेणियों में उच्च शैक्षणिक संस्थानों का पांच विभिन्न व्यापक मानकों पर उनके प्रदर्शन के आधार पर "इंडिया रैंकिंग 2020 " जारी किया। यह भारत में उच्च शैक्षणिक संस्थानों की इंडिया रैंकिंग का लगातार पांचवा संस्करण है। वर्ष 2020 में पहले की नौ रैंकिंग के अलावा "डेंटल" श्रेणी को पहली बार शामिल किया गया, जिससे इस साल कुल श्रेणियों/विषय क्षेत्रों की संख्या दस हो गई है।

क्या है एनआईआरएफ रैंकिंग

- 29 सितंबर 2015 को तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा एनआईआरएफ रैंकिंग की शुरुआत हुई थी। पहली रैंकिंग 2016 में जारी की गई थी। तब से हर साल मंत्रालय ये रैंकिंग जारी करता है।

रैंकिंग का आधार

- इसमें हर क्षेत्र के भारतीय शैक्षणिक संस्थानों को विभिन्न मानकों पर उनकी उत्कृष्टता के आधार पर नेशनल रैंक दी जाती है। टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेस, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम (संस्थान के रिजल्ट्स, प्लेसमेंट, आदि), आउटरीज एंड इन्क्लूसिविटी (वैश्विक स्तर पर संस्थान की भागीदारी) और परसेप्शन (संस्थान के बारे में लोगों की अवधारणा) के आधार पर संस्थानों को अंक दिए जाते हैं।

NIRF India Ranking 2020

Overall Category
- IIT Madras,
- IISc Banglore,
- IIT Delhi

University Category
- IISc Bangalore,
- JNU New Delhi,
- BHU Varanasi

Engineering Category
- IIT Madras,
- IIT Delhi,
- IIT Bombay

Management Category
- IIM Ahmedabad,
- IIM Bangalore,
- IIM Calcutta

Colleges Category
- Miranda House DU,
- LSR for Women DU,
- Hindu College DU

Medical Discipline
- AIIMS, New Delhi,
- PGIMER Chandigarh,
- Christian Medical College, Bangalore

Law Discipline
- National Law School of India University, Bengaluru,
- NLU New Delhi,
- Nalsar University of Law, Hyderabad

NIRF रैंकिंग 2020

- इस साल की NIRF रैंकिंग 2020 की सूची में आईआईटी मद्रास देश का सबसे बेहतर संस्थान साबित हुआ है। इस सूची में दूसरे नंबर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरू, तीसरा स्थान आईआईटी दिल्ली को मिला है। आर्किटेक्चर संस्थानों में आईआईटी खड़गपुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, लॉ संस्थानों में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (बेंगलुरु) को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और डेंटल संस्थानों में दिल्ली के मौलाना आजाद इंस्टिट्यूट ऑफ डेंटल साइंस पहले स्थान पर आया है। इसमें यूनिवर्सिटी कटेगरी में आईआईएससी बेंगलूरू को पहला, जेएनयू दिल्ली को दूसरा और बीएचयू को तीसरी रैंक हासिल हुई है। इसी तरह इंजीनियरिंग कटेगरी में आईआईटी मद्रास को पहली, आईआईटी दिल्ली को दूसरी और आईआईटी मुंबई की तीसरी रैंक हासिल हुई है। मैनेजमेंट कटेगरी में आईआईएम अहमदाबाद पहली रैंक पर, आईआईएम बेंगलुरु दूसरी रैंक पर आईआईएम कोलकाता तीसरी रैंक पर रहा है। मेडिकल कटेगरी में एम्स दिल्ली नंबर वन, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ को रैंक टू और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर की तीसरी रैंक पर जगह मिली है। लॉ कटेगरी में एनएलएसआईयू बेंगलूरू को प्रथम, एनएलयू दिल्ली को दूसरा एनएलयू हैदराबाद तीसरी रैंक पर हैं। कॉलेज कैटिगरी में दिल्ली का मिरांडा हाउस कॉलेज अव्वल रहा, तो दूसरी रैंक लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वूमेन को मिली है। तीसरी रैंक पर भी हिंदू कॉलेज दिल्ली को जगह मिली है।

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

01

03

05

01 भारत में लोक कला/जनजातीय कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों पर चर्चा करें।

02 हाल के दिनों में एनसीआर क्षेत्र में भूकम्प की बारंबारता बढ़ी है। इस संदर्भ में भारत में भूकम्प के खतरे तथा उससे निपटने के तैयारियों की समीक्षा कीजिए।

03 कोविड-19 जैसी महामारी के दौर में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सहकारी समितियाँ कितनी कारगर साबित होगी? मूल्यांकन कीजिए।

04 भारत-चीन के मध्य सीमा पर बढ़ते हिंसक झड़पों के कारणों की चर्चा करते हुए इसके रणनीतिक समाधान के उपायों को बताएं।

05 आंग्ल-मराठा संघर्ष ने भारतीय उपमहाद्वीप की तत्कालीन राजनीति को दीर्घकालिक रूप से प्रभावित किया? वर्णन करें।

06 क्या आप इस बात से सहमत हैं कि दक्षिण भारतीय मंदिर भारत में धर्म के सुंदर वास्तुशिल्प की अभिव्यक्ति हैं? टिप्पणी करें।

07 अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (AAR) क्या है? मुकदमेबाजी को कम करने में ऐसे संस्थान कहाँ तक सक्षम हैं? व्याख्या कीजिए।

7 महत्वपूर्ण तथ्य
(प्रारंभिक परीक्षा हेतु)

01

03

05

01 किस राज्य सरकार की योजना है कि शरावती (नदी) बैकवाटर क्षेत्र में स्थित निर्जन द्वीपों पर एक 'बंदर पार्क' स्थापित किया जाएगा?

कर्नाटक

02 इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलमेंट (IMD) के वैश्विक-प्रतिस्पर्धा-क्षमता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान हैं।

43वां

03 हाल ही में कौन सा देश संस्थापक सदस्य के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी (GPAI) में शामिल हुआ?

भारत

04 किस ग्रह का चंद्रमा उस ग्रह से दूर जा रहा है?

शनिग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन

05 उत्तराखण्ड की ग्रीष्मकालीन राजधानी का क्या नाम है?

गैरसेन (चमोली जिला)

06 विश्व महासागर दिवस, 2020 का विषय क्या है?

एक सतत महासागर के लिए नवाचार

07 किस राज्य सरकार ने हाल ही में पुलिस कर्मियों से संबंधित आत्महत्या और भातृहंता (fatricide) की घटनाओं को कम करने के लिए "स्पंदन अभियान" शुरू किया है?

छत्तीसगढ़

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

02

04 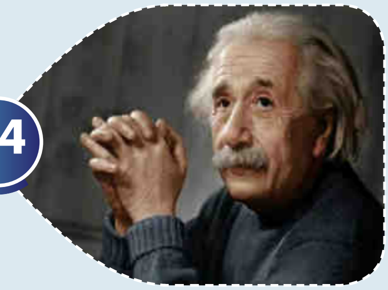

06 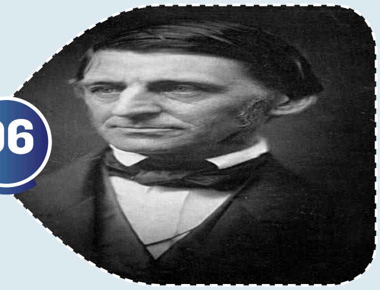

01 किसी विचारधारा से सहमत न होते हुए भी उसका सत्कार करना शिक्षित दिमाग की निशानी है।

अरस्तू

02 मानवीय स्वभाव मूलरूप से अच्छा है, और आत्मज्ञान का प्रयास सभी बुराइयों को खत्म कर देता है।

डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन

03 शिक्षा का उद्देश्य एक खाली दिमाग को एक खुले दिमाग में बदलना है।

मैल्कम फोर्ब्स

04 हर कठिनाई के बीच अवसर मौजूद है।

अल्बर्ट आइंस्टीन

05 वह जिसके पास जीने का मकसद है उसके पास कोई बहाना नहीं होता ।

फ्रेडरिक नीत्से

06 बड़े काम आमतौर पर उन लोगों को मिले हैं जिन्होंने छोटे कामों को बड़ा करने की अपनी क्षमता साबित की है।

राल्फ इमर्सन

07 ज्ञान को निरंतर-सुधारना, चुनौती देना और बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो वह खत्म हो जाएगा।

पीटर ड्रकर

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA –9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter (ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्सक्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): **अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |**

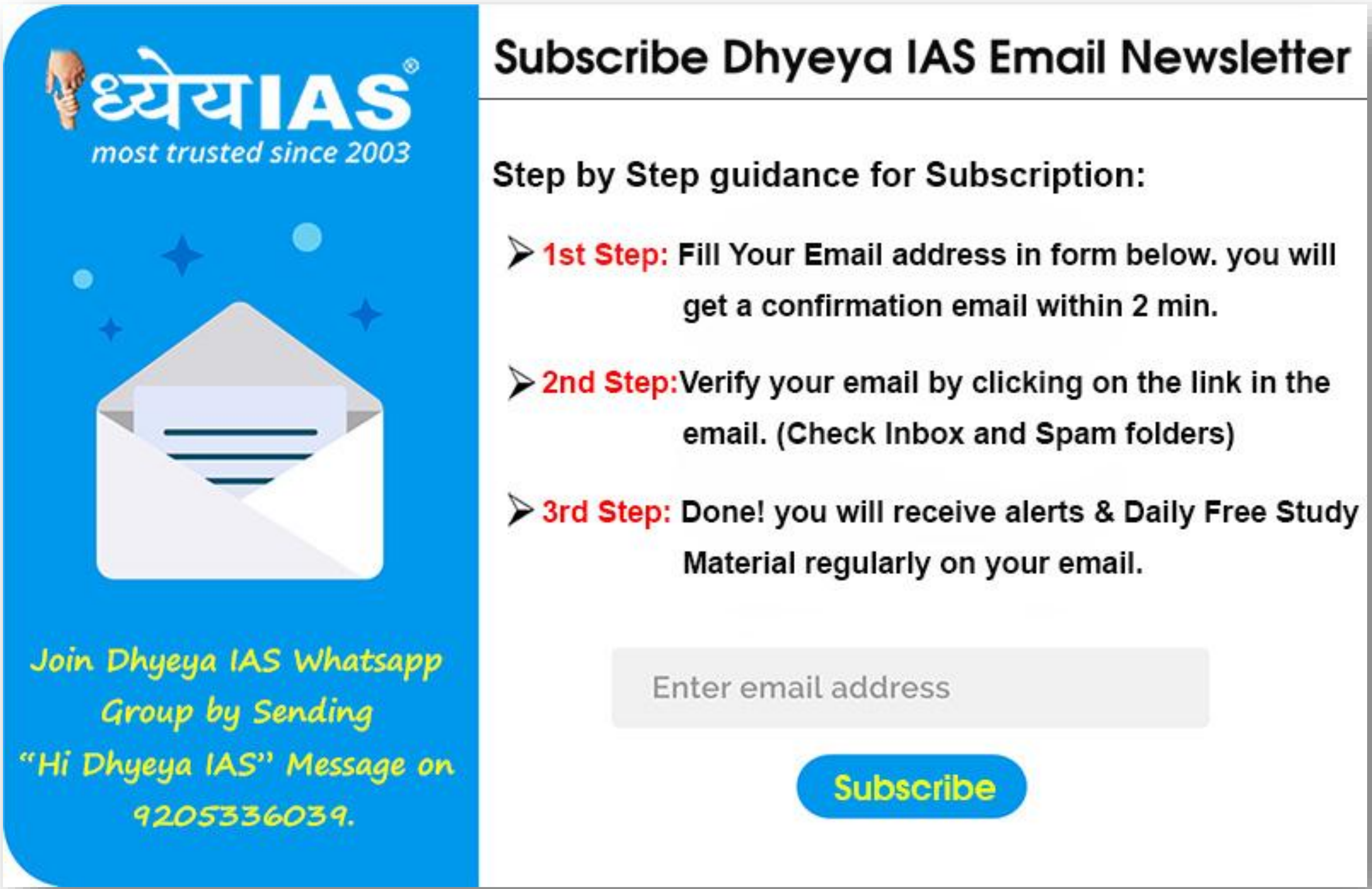

most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400